फा.सं. 11-18/3/2021-पीएलआईएस प्रभाग

भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
पंचशील भवन, अगस्त क्रांति मार्ग
नई दिल्ली-110049

दिनांकः 02.05.2021

विषयः खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए नई केंद्रीय क्षेत्र स्कीम "उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन स्कीम" (पीएलआईएसएफपीआई) के परिचालन दिशानिर्देश

भारत सरकार (जीओआई) ने वर्ष 2021-22 से 2026-27 के दौरान 10,900 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ नई केंद्रीय क्षेत्र योजना- **"**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन स्कीम**"** के कार्यान्वयन का अनुमोदन किया है। स्कीम का कार्यान्वयन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) के द्वारा किया जाएगा।

2. उद्योग के प्लेयर्स के साथ परामर्श/बैठकों, उद्योग संघों और अन्य हितधारकों जिसमें लाइन मंत्रालय एवं नीति आयोग शामिल है से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर **"**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन स्कीम (पीएलआईएसएफपीआई) **"** के लिए परिचालन दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया गया है।

3. **"**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन स्कीम (पीएलआईएसएफपीआई)**"** को एतदद्वारा सभी हितधारकों और सामान्य जनता के लिए अधिसूचित किया जाता है।

(एस.के. वर्मा)
निदेशक
दूरभाष सं. 011-26406567
ईमेलः sk.verma@nic.in
Plis-fpi@mofpi.gov.in

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना पर दिशानिर्देश

02 मई, 2021

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
भारत सरकार

फा.सं. 11-18/3/2021-पीएलआईएस

भारत सरकार

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

दिनांक: 02.05. 2021

विषय वस्तु

1. उद्देश्य 4
2. घटक 4
3. परिभाषाएं 4
4. योजना का कार्यकाल 8
5. पात्रता 8
6. निवेश 9
7. ब्राडिंग और विपणन 11
8. चयन प्रक्रिया 12
9. गणना और प्रोत्साहन का भुगतान 13
10. आवेदन 14
11. ऑनलाईन पोर्टल 15
12. परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) 16
13. सचिवों का सशक्त समूह 17
14. समितियां 18
15. अनुमोदन 20
16. प्रोत्साहन का वितरण 22
17. समीक्षा
18. अवशिष्ट 23

□□□□□□□□ –□: □□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□ 25

□□□□□□□□–□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□

□□□□□□□□□ –□:□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□□..... 26
□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□
□□□□□□□□□ –□:□□□□□□□□□□ □□□□□□..... 27
□□□□□□□□□ –□: □□□□ □□□□□□..... 27
□□□□□□□□□ –□: □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□□□□..... 31
□□□□□□□□--1□: □□□□□□□ I □□□□□□□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□..... 32
□□□□□□□□--1□: □□□□□□□ II □□□□□□□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□..... 40
□□□□□□□□--1□: □□□□□□□ III □□□□□□□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□..... 47
□□□□□□□□--2: □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□ □□□□□□□□□..... 56
□□□□□□□□--3: □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□ □□□ □□□□□□□□□ 57
□□□□□□□□--4: □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□..... 60
□□□□□□□□--5: □□□–□□□□ □□ □□□□□□□□□□□ 63
□□□□□□□□--6: □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□..... 64
□□□□□□□□--7: □□□□□□□□□□ □□□□/□□□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ 66
□□□□□□□□--8: □□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□ □□□□□□□□□□□..... 67

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना पर दिशानिर्देश

1. उद्देश्य

1.1 इस योजना का उद्देश्य वैश्विक खाद्य विनिर्माण चैंपियनों के सृजन में सहायता करना; अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में खाद्य उत्पादों के भारतीय ब्रांडों को प्रोत्साहन देने; कृषि से मिलने वाली नौकरियों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना, कृषि उपज के लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना और किसानों को अधिक आय प्रदान करना है।

2. घटक

2.1 उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के माध्यम से उद्देश्यों को प्राप्त करने की मांग की जाती है । इस योजना के तीन व्यापक घटक हैं।

2.2 प्रथम घटक चार प्रमुख खाद्य उत्पाद खंडों अर्थात बाजरा आधारित खाद्य पदार्थों, प्रसंस्कृत फल और सब्जियों, समुद्री उत्पादों और मोत्ज़ारेला चीज सहित रेडी टू कुक/रेडी टू ईट (आरटीसी/आरटीई) जैसे विनिर्माण को प्रोत्साहित करने से संबंधित है ।

2.3 द्वितीय घटक फ्री रेंज-अंडे, पॉल्ट्री मीट और अंडा उत्पादों सहित उपरोक्त सभी चार खाद्य उत्पाद खंडों में एसएमई के नवीनतम/जैविक उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए है।

2.4 तृतीय घटक मजबूत भारतीय ब्रांडों के उद्भव को प्रोत्साहित करने के लिए विदेशों में ब्रांडिंग और विपणन के लिए समर्थन से संबंधित है।

3. परिभाषाएं

3.1 दिशानिर्देश: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना पर दिशानिर्देश

3.2 उत्पाद खंड: खाद्य उत्पादों को एक ऐसे खंड के रूप में वर्गीकृत किया गया है जो पीएलआई स्कीम के अंतर्गत कवर किए जाने के लिए पात्र हैं। बाजरा उत्पादों, प्रसंस्कृत फल और सब्जियों, समुद्री उत्पादों और मोत्ज़ारेला चीज सहित रेडी टू कुक/रेडी टू ईट (आरटीसी/आरटीई) खाद्य पदार्थ के चार खंड हैं। इन खंडों में मुफ्त रेंज-अंडे, पोल्ट्री मीट, अंडा उत्पादों सहित एसएमई के नवीनतम/जैविक उत्पादों को भी शामिल किया गया है।

3.3 उत्पाद समूह: भारत में निर्मित प्रत्येक उत्पाद खंडों के अंतर्गत कवर किए गए उत्पादों का समूह। प्रत्येक उत्पाद खंडों के अंतर्गत उत्पाद समूह इस दिशानिर्देशों के **परिशिष्ट ख** के कॉलम 2 में सूचीबद्ध हैं। ।

3.4 एसएमई: जैसा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत

अधिसूचना के माध्यम से परिभाषित किया गया है।

3.5 आवेदक: योजना के उद्देश्य के लिए आवेदक (i) मालिकाना फर्म या पार्टनरशिप फर्म या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (एलएलपी) या भारत में पंजीकृत कंपनी (ii) सहकारिता; और (iii) एसएमई और योजना के अंतर्गत कवरेज के लिए अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवेदन करना। आवेदक शामिल हो सकते हैं

3.5.1 एक कंपनी अपनी ओर से आवेदन करती है और उसकी सहायक कंपनी प्रदान करती है बशर्ते आवेदक कंपनी अपनी सहायक कंपनी के स्टॉक का 50% से अधिक रखती है और ऐसी किसी भी सहायक कंपनी को इस योजना के अंतर्गत किसी अन्य आवेदक कंपनी में शामिल नहीं किया गया है; और

3.5.2 सहकारिता के मामले में सदस्य संघों या सदस्य सहकारी समितियों की ओर से आवेदन करने वाले विपणन महासंघ या शीर्ष स्तर के सहकारिता।

3.6 सहायक: जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (87) के अंतर्गत परिभाषित किया गया है।

3.7 आवेदन: योजना दिशानिर्देशों के अंतर्गत निर्धारित आवेदन प्रारूप के अनुसार पीएमए में आवेदक द्वारा योजना के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन जिसमें आवश्यक सहायक दस्तावेजों और आवेदन शुल्क के साथ अपेक्षित जानकारी शामिल है।

3.8 आवेदन पावती तिथि: प्रारंभिक जांच करने के बाद पीएमए द्वारा आवेदन को स्वीकार किया जाता है। पीएमए आवेदन की जांच के बाद आवेदन प्राप्त होने के 15 कार्य दिवसों के भीतर आवेदन प्राप्त करने की ऑनलाइन पावती जारी करेगा (**संलग्नक-2** पर चेकलिस्ट के अनुसार)। इस पावती को योजना के अंतर्गत अनुमोदन के रूप में नहीं माना जाएगा। यदि जांच करने पर यह पाया जाता है कि मूल या संशोधित आवेदन प्रथम दृष्टया निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है, तो पीएमए आवेदन प्राप्त होने के 15 कार्य दिवसों के भीतर तदनुसार आवेदक को सूचित करेगा और आवेदन बंद कर दिया जाएगा।

3.9 आवेदन अनुमोदन तिथि: योजना के अंतर्गत अनुमोदन पत्र एमओएफपीआई द्वारा प्राधिकरण के अंतर्गत एमओएफपीआई या पीएमए द्वारा किस तिथि को जारी किया जाता है।

3.10 आवेदन खिड़की: आवेदन पत्र दाखिल करने के लिए समय की अनुमति। आवेदन विंडो ईओआई में निर्दिष्ट किया जाएगा। एमओएफपीआई आवेदन विंडो को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

3.11 अनुबंध निर्माता: निर्माता आवेदक के साथ एक कानूनी संपर्क के अंतर्गत विनिर्माण खाद्य उत्पादों और उस आवेदक को आपूर्ति का निर्माण करने के लिए ।

3.12 श्रेणी प्रथम, द्वितीय और तृतीय के आवेदक

3.12.1 **श्रेणी-1:** आवेदक बड़ी संस्थाएं हैं जो बिक्री और निवेश मानदंडों के आधार पर प्रोत्साहन के लिए आवेदन करती हैं। इस श्रेणी के अंतर्गत आवेदक विदेशों में भी ब्रांडिंग और विपणन गतिविधियां शुरू कर सकते हैं और इस योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन के लिए आवेदन कर सकते हैं ।

3.12.2 **श्रेणी-II:** एसएमई आवेदकों अभिनव/कार्बनिक उत्पादों का निर्माण जो बिक्री के आधार पर पीएलआई प्रोत्साहन के लिए आवेदन करते हैं ।

3.12.3 **श्रेणी-III:** विदेशों में ब्रांडिंग और विपणन गतिविधियों को शुरू करने के लिए केवल प्रोत्साहन के लिए आवेदन करने वाले आवेदक।

3.13 वित्तीय वर्ष: वित्तीय वर्ष (वित्त वर्ष) एक वर्ष की पहली अप्रैल से शुरू होता है और अगले वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होता है ।

3.14 कार्यान्वयन वर्ष: वित्त वर्ष 2021-22, वित्त वर्ष 2022-23, वित्त वर्ष 2023-24, वित्त वर्ष 2024- 25, वित्त वर्ष 2025-26 और वित्त वर्ष 2026-27 के लिए क्रमशः प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, चतुर्थ वर्ष, पंचम वर्ष और षष्टम वर्ष के रूप में इंगित किया गया।

3.15 व्यावसायिक उत्पादन की तारीख: वह तिथि जिस पर आवेदक पीएंडएम के प्रचालन से निर्मित पात्र उत्पादों की बिक्री के लिए पहला जीएसटी चालान उठाता है जिसके लिए आवेदन में निवेश की प्रतिबद्धता थी।

3.16 अप्रत्याशित घटना: असाधारण घटनाओं या मानव नियंत्रण से परे परिस्थितियों जैसे दैवीय कार्य के रूप में वर्णित घटनाओं (एक प्राकृतिक आपदा की तरह) या एक युद्ध, हड़ताल, सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति, दंगों, अपराधों के रूप में घटनाएं (लेकिन लापरवाही या गलत करना सहित नहीं, उम्मीद के मुताबिक वर्षा और कोई अन्य घटनाएं जो विशेष रूप से अपवर्जित हो।

3.17 ग्रीनफील्ड परियोजना: परियोजना(एं) जिसमें एक नई उत्पादन सुविधा में इस योजना के अंतर्गत आवेदक द्वारा निवेश का प्रस्ताव है।

3.18 परियोजना का विस्तार: परियोजना (ओं) जिसमें एक मौजूदा उत्पादन सुविधा के परिसर में एक नए संयंत्र में निवेश का प्रस्ताव है। तथापि योजना के उद्देश्य के लिए मौजूदा उत्पादन सुविधा के परिसर में नए संयंत्र के लिए अलग रिकॉर्ड बनाए रखा जाएगा।

3.19 प्रोत्साहन: चयनित खंड में पात्र उत्पादों की बिक्री में वृद्धि के आधार पर प्रत्येक चयनित आवेदक को प्रदान किया जाने वाला वित्तीय लाभ है।

3.20 विनिर्माण: केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) अधिनियम, 2017 के अनुसार विनिर्माण का अर्थ कच्चे माल अथवा इनपुट किसी भी तरीके से प्रसंस्करण होगा जिसके परिणामस्वरूप एक अलग नाम, चरित्र और उपयोग वाले नए उत्पाद का उद्भव होता है और "निर्माता" शब्द का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा।

3.21 निवल बिक्री: बिक्री का मतलब आवेदक संस्थाओं द्वारा थोक या उपभोक्ता पैकेज में खाद्य उत्पादों की बिक्री से होगा। निवल बिक्री का अर्थ जीएसटी, क्रेडिट नोट (किसी

उद्देश्य के लिए उठाया गया) के शुद्ध खाद्य उत्पादों की सकल बिक्री तथा छूट (नकदी सहित, मात्रा, कारोबार, लक्ष्य अथवा किसी अन्य उद्देश्य के लिए सीमित नहीं है) होगा।

3.22 वृद्धिशील बिक्री: किसी विशेष वर्ष के लिए वृद्धिशील बिक्री का अर्थ है कि उस वर्ष में निवल बिक्री आधार वर्ष में निवल बिक्री कम है।

3.23 आधार वर्ष: वृद्धिशील बिक्री और प्रोत्साहन देय की गणना के लिए आधार वर्ष 2019-20 में पहले 4 वर्षों के लिए आवेदक की निवल बिक्री का मूल्य होगा। 5वें और 6 वें वर्ष के लिए, आधार वर्ष क्रमशः 2021-22 और 2022- 23 में बदल जाएगा। योजना के अंतर्गत आवेदक के प्रथम और द्वितीय वर्ष का कवरेज

3.24 परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए): किसी भी एजेंसी को संदर्भित करता है, जो आवेदन की प्राप्ति और मूल्यांकन के लिए अपनी ओर से कार्य करने के लिए एमओएफपीआई द्वारा नियुक्त किया जाता है, पात्रता का सत्यापन और संवितरण दावों की जांच किसी भी विधि / दस्तावेज के माध्यम से उचित माना जाता है और प्रबंधन के लिए इन दिशानिर्देशों के अनुसार ऊपर उल्लेख किया गया है।

3.25 सचिवों का सशक्त समूह (ईजीओएस): उद्योग एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा गजट अधिसूचना आदेश संख्या पी 36017/144/2020-निवेश संवर्धन दिनांक 106-2020 के माध्यम से गठित समिति।

4. योजना का कार्यकाल

4.1 इस योजना का कार्यकाल वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2026-27 तक छह वर्ष है।

4.2 किसी विशेष वर्ष के लिए देय प्रोत्साहन अगले वर्ष में भुगतान के लिए देय होगा । वर्ष 2026-27 के लिए देय प्रोत्साहन वर्ष 2027-28 में भुगतान के लिए देय होगा।

5. पात्रता

5.1 इस योजना के अंतर्गत केवल भारत में खाद्य उत्पादों के निर्माण में लगे आवेदकों को सहायता प्रदान की जाएगी और लक्षित खंडों के अंतर्गत ऐसे उत्पादों की बिक्री की जाएगी । एसएमई आवेदकों को अभिनव/जैविक खाद्य उत्पादों के लिए ऐसी गतिविधियों में शामिल होना चाहिए ।

5.2 खाद्य उत्पादों की कुल बिक्री और आवेदकों की विभिन्न श्रेणियों के लिए न्यूनतम निवेश के संदर्भ में पात्रता मानदंड **परिशिष्ट-क** में दिए गए हैं । एक आवेदक के पास आधार वर्ष में **परिशिष्ट क** में दिए गए न्यूनतम बिक्री से अधिक खाद्य उत्पादों की कुल बिक्री होगी। यहां न्यूनतम बिक्री के उद्देश्य से खाद्य उत्पादों का मतलब है कि **परिशिष्ट-ख** में दिए गए चार खंडों में शामिल खाद्य उत्पादों सहित उपभोक्ता पैक में बेचे जाने वाले किसी भी खाद्य उत्पाद का मतलब है । आवेदक **परिशिष्ट-क** में दिए गए न्यूनतम निवेश को शुरू करने के लिए सहमत होगा। हालांकि, यदि किसी खंड में अंतिम रूप से चुने जाने वाले नंबर से अधिक आवेदक हैं, तो चयन मानदंडों में प्रतिबद्ध निवेश शामिल है जो चयनित कंपनी वर्ष

2022-23 के अंत तक करने का प्रस्ताव करता है । प्रतिबद्ध निवेश **परिशिष्ट-क** में दिए गए न्यूनतम निवेश से अधिक होगा।

5.3 आवेदकों के चयन के लिए विभिन्न खंडों के अंतर्गत आने वाले उत्पाद समूह/उत्पाद **परिशिष्ट-ख** में दिए गए हैं।

5.4 आवेदक इस योजना के अंतर्गत कवरेज के लिए आवेदन में उस सेगमेंट के खंड और उत्पाद समूहों को इंगित करेंगे।

5.5 आवेदक उन उत्पादों को भी शामिल कर सकता है जो आवेदक वर्तमान में विनिर्माण नहीं कर रहा है लेकिन परियोजना अवधि के दौरान निर्माण करना चाहता है। यदि कोई चयनित इकाई आवेदक के लिए अनुमोदित खंड में शामिल किसी नए उत्पाद का निर्माण शुरू कर दे, तो उसे बाद में एमओएफपीआई/पीएमए को सूचित करने के बाद जोड़ा जा सकता है ।

5.6 इस योजना के अंतर्गत कवरेज के लिए लागू किए गए संबंधित खंड के खाद्य उत्पादों की प्राथमिक प्रसंस्करण सहित विनिर्माण प्रक्रियाओं की पूरी श्रृंखला भारत में होगी। तथापि, एडिटिव्स, फ्लेवर और खाद्य तेलों के लिए यह शर्त लागू नहीं होगी।

5.7 एक से अधिक खंडों में उपस्थिति रखने वाला आवेदक एक या अधिक खंडों के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा। तथापि आवेदक को प्रत्येक खंड के लिए न्यूनतम बिक्री और निवेश मानदंडों को पूरा करना होगा और प्रत्येक उत्पाद खंड के लिए अलग-अलग आवेदन करना होगा।

5.8 **आवेदक श्रेणी-1** के तहत एक या एक से अधिक खंडों के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। हालांकि, ऐसे आवेदकों को प्रत्येक उत्पाद खंड के लिए अलग-अलग आवेदन करने और प्रत्येक खंड के लिए आवेदन किए गए न्यूनतम बिक्री और निवेश मानदंडों को पूरा करने की आवश्यकता होगी।

5.9 आवेदक को दिवालिया या विलफुल डिफॉल्टर या डिफॉल्टर घोषित नहीं किया जाना चाहिए था या किसी बैंक या वित्तीय संस्थान या गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा धोखाधड़ी के रूप में रिपोर्ट नहीं किया जाना चाहिए था। आवेदक/प्रवर्तकों को सेबी की वर्जित सूची में नहीं होना चाहिए।

6. निवेश:

6.1 निवेश: निवेश का अर्थ आवेदक और/अथवा इसके संविदा निर्माताओं द्वारा नए संयंत्र, मशीनरी, उपकरण और तकनीकी और नागरिक कार्य के निर्माण पर किया गया व्यय होगा। व्यय में सभी गैर-क्रेडिटेबल कर और शुल्क शामिल है।

6.2 तकनीकी सिविल कार्य: इसमें भवन के निर्माण पर व्यय शामिल होगा जहां नए संयंत्र और मशीनरी स्थापित हैं

6.3 एसोसिएटेड इंफ्रास्ट्रक्चर: इसमें आंतरिक सड़कों, भंडारण, परीक्षण प्रयोगशाला और यौगिक दीवार सहित अवसंरचना पर व्यय शामिल होगा। हालांकि, संबद्ध अवसंरचना पर खर्च नए संयंत्र और मशीनरी में निवेश के 20% तक सीमित होगा।

6.4 न्यूनतम निवेश: नए निवेश की न्यूनतम राशि जो आवेदक को योजना प्रावधान के अंतर्गत करना होगा। निर्धारित न्यूनतम निवेश केवल संयंत्र और मशीनरी और तकनीकी और नागरिक कार्यों और एसोसिएट अवसंरना पर होगा। जैसा कि **परिशिष्ट क** में दिया गया है।

6.5 प्रतिबद्ध निवेश: आवेदक का प्रतिबद्ध निवेश वह निवेश है जिसे आवेदक आवेदन करते समय योजना के अंतर्गत कवरेज के लिए निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रतिबद्ध निवेश में न्यूनतम निवेश, न्यूनतम निवेश (यदि कोई हो) से अधिक निवेश और विदेशों में ब्रांडिंग और विपणन में निवेश (योजना के पहले दो वर्षों के लिए) शामिल होंगे ।

6.6 यदि आवेदक मौजूदा उत्पादन सुविधा के परिसर में एक नया संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव करता है, तो आवेदक पात्र उत्पाद के निर्माण के लिए ईटीपी, गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला, भंडारण क्षेत्र और मौजूदा उत्पादन सुविधा की अन्य सुविधाओं जैसे मौजूदा सहायक सुविधाओं का उपयोग कर सकता है । तदापि, सहायक सुविधाओं में पहले से किया गया निवेश योजना के अंतर्गत किए जाने वाले प्रतिबद्ध निवेश के उद्देश्य के लिए योग्य नहीं होगा।

6.7 खाद्य उत्पादों के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध निवेश किया जाएगा जिसे आवेदक आवेदन चरण में पीएलआई के लिए चुनता है।

6.8 प्रतिबद्ध निवेश आवश्यकता को चयनित आवेदक द्वारा सीधे और/या अनुबंध विनिर्माताओं के संयोजन में पूरा किया जाना चाहिए। अनुबंध निर्माता द्वारा निवेश केवल प्रतिबद्ध निवेश की ओर गिना जा सकता है यदि उस अनुबंध निर्माता के निर्मित उत्पादन का 100% आवेदक को आपूर्ति की जाएगी।

6.9 2021-22 और 2022-23 में दो वर्षों में निवेश किए जाना अपेक्षित है। तथापि, वर्ष 2020-21 में पहले से किए गए संयंत्र और मशीनरी में निवेश को भी न्यूनतम और प्रतिबद्ध निवेश की गणना के लिए गिना जाएगा।

6.10 आवेदक 2020-21 में किए गए निवेश और आवेदन पत्र में 2021-22 और 2022-23 में किए जाने वाले निवेश की राशि का संकेत देगा।

6.11 निवेश एक ग्रीनफील्ड परियोजना अथवा मौजूदा विनिर्माण यूनिट का विस्तार होगा।

6.12 संयंत्र, मशीनरी और उपकरण आवेदक अथवा उसके संविदा निर्माताओं के नाम पर खरीदे/पट्टे पर दिए जाने चाहिए। जिन मामलों में इन्हें पट्टे पर दिया जा रहा है, वे पट्टे लेखांकन मानक 19 के अर्थ के भीतर वित्तीय पट्टे की प्रकृति में होने चाहिए - पट्टे या भारतीय लेखा मानक (इंड-एएस) - 116 पट्टे, जैसा कि आवेदक पर लागू हो सकता है, जैसा कि कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय अथवा किसी अन्य उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाता है। पट्टा राशि के भुगतान के बाद संयंत्र के मालिक आवेदक/अनुबंध विनिर्माण को वित्त पट्टा देना चाहिए ।

6.13 प्रतिबद्ध निवेश के अनुपालन के लिए दिनांक 1.4.2020 और 31.3.2023 के बीच संयंत्र, मशीनरी की स्थापना, तकनीकी और सिविल कार्य का निर्माण और वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होना चाहिए।

6.14 पीएमए आवेदक द्वारा प्रतिबद्ध निवेश के अनुपालन के आकलन के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया (आईईआई) के साथ पंजीकृत संयंत्र और मशीनरी और उपकरणों के लिए तकनीकी सिविल कार्य के लिए चार्टर्ड इंजीनियर्स (सीई) [सीई) [सीई (सिविल) के प्रमाण पत्रों पर निर्भर करेगा ।

6.15 चार्टर्ड इंजीनियर को अन्य बातों के साथ-साथ आवेदक के दस्तावेजों को सत्यापित करेगा, जैसा कि पीएंडएम के मूल्य, पी एंड एम की स्थापना की तकनीकी सिविल कार्य तिथि, तकनीकी सिविल कार्य के शुरू होने/पूरा होने और व्यावसायिक उत्पादन की तिथि हेतु आवश्यक हो सकता है ताकि प्रतिबद्ध निवेश के अनुपालन को प्रमाणित किया जा सके।

6.16 पीएमए चार्टर्ड इंजीनियर द्वारा किए गए मूल्यांकन का मूल्यांकन करेगा और संयंत्र/स्थलों का भौतिक निरीक्षण कर सकता है, वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख की जांच कर सकता है, और आवेदक द्वारा प्रतिबद्ध निवेश के अनुपालन पर एमओएफपीआई को सिफारिश कर सकता है ।

6.17 भूमि पर किया गया व्यय: न्यूनतम/प्रतिबद्ध निवेश का निर्धारण करने के लिए परियोजना/यूनिट के लिए अपेक्षित भूमि पर किए गए व्यय पर विचार नहीं किया जाएगा।

6.18 पात्र उत्पाद के निर्माण के लिए किसी दूसरे से प्राप्त किया गया/उपयोग/नवीनीकृत संयंत्र, मशीनरी, उपकरण, उपयोगिताओं या अनुसंधान और विकास उपकरणों का उपयोग नहीं किया जाएगा।

6.19 प्रतिबद्ध निवेश का निर्धारण करने के लिए गेस्ट हाउस भवन, मनोरंजनात्मक सुविधाओं, कार्यालय भवन, आवासीय कॉलोनियों और इसी तरह की संरचनाओं के व्यय पर विचार नहीं किया जाएगा।

6.20 विनिर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले उपभोग्य सामग्रियों और कच्चे माल पर व्यय को निवेश नहीं माना जाएगा।

7. ब्रांडिंग और विपणन:

7.1 विदेशों में केवल भारतीय ब्रांडों को प्रोत्साहन देने के लिए स्टोर ब्रांडिंग, शेल्फ स्पेस रेंटिंग और विपणन के लिए प्रोत्साहन योजना। ब्रांडिंग और विपणन के अंतर्गत कवर की गई गतिविधियों की एक सांकेतिक सूची इन-स्टोर ब्रांडिंग, शेल्फ स्पेस रेंटिंग, लिस्टिंग शुल्क, इलेक्ट्रॉनिक/सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया हैं।

7.2 ब्रांडिंग के लिए समर्थन सभी भारतीय खाद्य उत्पादों जो ब्रान्डेड उपभोक्ता पैक में है के लिए बाजार का विकास आशयित है जिसमें परिशिष्ट ख में दिए गए चार उत्पाद खंडों के कवर किए गए हैं शामिल है।

7.3 यदि कोई **श्रेणी-I** आवेदक विदेश में ब्रांडिंग और विपणन के लिए अनुदान का लाभ उठाना चाहता है, तो उसके पास दो विकल्प हैं । आवेदक दोनों **श्रेणियों I** और **III** के अंतर्गत ब्रांडिंग और विपणन के लिए आवेदन कर सकता है । यदि ऐसे आवेदक का चयन **श्रेणी-I** में किया जाता है, तो **श्रेणी-III** में आवेदन निष्फल हो जाएगा। यदि उस आवेदक का चयन **श्रेणी-I** में नहीं किया जाता है तो **श्रेणी-III** के अंतर्गत आवेदन पर विचार किया जाएगा। विदेश में ब्रांडिंग और मार्केटिंग अनुदान के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक ब्रांडिंग के लिए पांच साल का प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा । **श्रेणी-I** के अंतर्गत प्रस्ताव में प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के लिए प्रस्तावित ब्रांडिंग पर खर्च को आवेदन के लिए प्रतिबद्ध निवेश के एक हिस्से के रूप में शामिल किया जाएगा। तथापि, **श्रेणी-I** के अंतर्गत आवेदन के लिए ब्रांडिंग और विपणन पर प्रोत्साहन आवेदक के प्रस्ताव के आधार पर पूरे पांच वर्षों के लिए देय होगा।

7.4 ब्रांडिंग और मार्केटिंग के अंतर्गत शामिल गतिविधियों की एक सांकेतिक सूची इन-स्टोर ब्रांडिंग, शेल्फ स्पेस रेंटिंग, लिस्टिंग फीस, इलेक्ट्रॉनिक/सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया, आउटडोर प्रचार, बिलबोर्ड, चैनलों पर वाणिज्यिक विज्ञापन आदि हैं ।

7.5 इस व्यय में व्यापार छूट, वितरण पर किए गए व्यय और विदेशी लॉजिस्टिक्स व्यय को शामिल नहीं किया जाएगा ।

7.6 संस्थाएं ऐसी सहायता प्राप्त करने के लिए लक्षित बाजारों में पांच वर्षीय योजना या योजना के कार्यकाल की शेष अवधि (स्टोर ब्रांडिंग और विपणन में व्यय के गतिविधिवार वर्तमान स्तर को भी इंगित करती हैं) प्रस्तुत करेंगी।

7.7 इन प्रस्तावों में प्रस्तावित ब्रांड/खाद्य उत्पादों को बढ़ावा देने का संकेत दिया जाएगा। आवेदक में बाद में ऐसे उत्पाद भी शामिल हो सकते हैं जिन्हें आवेदक ने एमओएफपीआई/पीएमए को सूचित करने के बाद आवेदन चरण में शामिल नहीं किया है ।

7.8 विदेशों में ब्रांडिंग पर 2020-21 में किए गए व्यय को प्रतिबद्ध निवेश और आवेदकों के चयन के लिए ध्यान में नहीं रखा जाएगा ।

7.9 यदि चयन के लिए प्रतिबद्ध व्यय में शामिल किया जाता है तो ब्रांडिंग और विपणन पर व्यय में देरी या गैर-उपलब्धि बिक्री आधारित प्रोत्साहन के भुगतान के लिए प्रतिबद्ध निवेश पर लागू प्रोत्साहन में कमी के अधीन होगी । बिक्री में न्यूनतम वृद्धि दर से कम होने के कारण बिक्री आधारित प्रोत्साहन के लिए अपात्रता, हालांकि, आवेदक को विदेश में ब्रांडिंग के लिए प्रोत्साहन पर अनुदान के लिए अयोग्य नहीं करेगी ।

7.10 आवेदकों को विदेशों में ब्रांडिंग और विपणन पर खर्च के 50% की दर से वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा, बतौर खाद्य उत्पादों की बिक्री का अधिकतम 3% या 50 करोड़ रुपये प्रति वर्ष, जो भी कम हो । प्रोत्साहन राशि के लिए न्यूनतम खर्च पांच साल की अवधि में 5 करोड़ रुपये होगा। ऐसी स्थिति में, एक स्वीकार्य अनुदान 2.5 करोड़ रुपये होगा।

7.11 एक आवेदक की ब्रांडिंग व्यय में भारत सरकार के हिस्से की प्रतिपूर्ति अगले वर्ष की जाएगी ।

8 चयन प्रक्रिया

8.1 सभी पात्र आवेदकों को **परिशिष्ट-ड.** में दिए गए मूल्यांकन मानदंडों में प्राप्त अंकों के आधार पर स्थान दिया जाएगा । आवेदक के लिए सबसे अधिक अंक हासिल करने वाले आवेदक को पहले स्थान पर रखा जाएगा, उसके बाद आवेदक को दूसरा सर्वोच्च अंक प्राप्त होगा। आवेदकों का चयन उनके रैंक के क्रम में होगा।

8.2 दो या अधिक प्रतीक्षा सूची वाले आवेदक, यदि उपलब्ध हैं, प्रत्येक पात्र उत्पाद खंड के लिए चयनित आवेदकों के साथ बनाए रखा जाएगा

8.3 चयनित आवेदकों की संख्या बजट उपलब्धता और खंड के लिए आवंटन द्वारा सीमित होगी।

8.4 किसी खंड के लिए चुनी गई किसी भी कंपनी को प्रोत्साहन के रूप में उस खंड के लिए कुल बजट का 25% से अधिक मिलेगा और किसी भी कंपनी को खंड परिव्यय का 5% से कम नहीं मिलेगा । फल और सब्जियों के खंड की स्थिति में, परिव्यय के 5% पर न्यूनतम प्रोत्साहन की आवश्यकता को छूट दी जा सकती है।

8.5 इस शर्त पर धन के अंतर-खंड आवंटन की अनुमति दी जाएगी कि फल और सब्जियों के क्षेत्र के लिए और विदेशों में ब्रांडिंग और विपणन के लिए आवंटन को कम नहीं किया जाएगा बल्कि बढ़ाया जा सकता है ।

9 गणना और प्रोत्साहन का भुगतान

9.1 किसी विशेष वर्ष के लिए चयनित आवेदक के लिए देय प्रोत्साहन की गणना इस प्रकार की जाएगी:

प्रोत्साहन = अनुमोदित उत्पाद खंड एक्स में वृद्धिशील बिक्री x **परिशिष्ट-(ग)** के अनुसार प्रोत्साहन की अनुरूप दर

9.2 प्रोत्साहन राशि योजना अवधि के अंत तक चयन के वर्ष से देय है।

9.3 चयनित आवेदकों को प्रोत्साहन का दावा करने के लिए आधार वर्ष में बिक्री में न्यूनतम सीएजीआर प्राप्त करना आवश्यक है, जैसा कि **परिशिष्ट-घ** में दिया गया है और उसका वर्णन किया गया है ।

9.4 प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पात्र होने के लिए आधार वर्ष में सीएजीआर के संदर्भ में न्यूनतम वृद्धि की गणना पीएलआईएस में शामिल करने के लिए आवेदक द्वारा चयनित खंड के सभी उत्पाद समूह के लिए की जाएगी ।

9.5 किसी भी खंड में इवेंट इंडस्ट्री में अप्रत्याशित घटना के कारण कम वृद्धि का सामना करना पड़ता है या किसी अन्य कारणों से, ईजीओएस खंड के लिए निर्धारित न्यूनतम वृद्धि दर की समीक्षा कर सकता है ।

9.6 आवेदक आवेदन में प्रस्तावित के रूप में प्रतिबद्ध निवेश, वर्षवार पूरा करेगा। यदि वे निवेश को पूरा करने में विफल रहे तो प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के लिए देय प्रोत्साहन से

10% प्रोत्साहन का जुर्माना काट लिया जाएगा । तथापि, यदि द्वितीय वर्ष के अंत में, प्रतिबद्ध निवेश पूरा हो गया है, तो प्रथम वर्ष के लिए रोकी गई राशि का भुगतान कंपनी को किया जाएगा। तृतीय वर्ष के अंत तक यदि प्रतिबद्ध निवेश पूरा नहीं होता है, तो चयनित आवेदक को एमओएफपीआई द्वारा बिक्री-आधारित प्रोत्साहन के लिए पीएलआईएस से बाहर निकाला जाएगा।

9.7 बैंक गारंटी ऐसे मामले में लागू की जाएगी जिसके बाद जारी किया गया प्रस्ताव पत्र रद्द हो जाएगा।

9.8 कई उत्पाद खंडों के लिए चयनित आवेदक संस्थाओं को बिक्री और निवेश क्षेत्रवार न्यूनतम वृद्धि को पूरा करना अपेक्षित होगा।

9.9 वृद्धिशील बिक्री का आकलन दावों के प्रसंस्करण के लिए सरकारी विभागों/एजेंसियों और ऑडिट रिपोर्टों और पीएमए द्वारा समय-समय पर अपेक्षित अन्य दस्तावेजों के साथ सांविधिक फाइलिंग पर आधारित होगा ।

9.10 एक विशेष वर्ष के लिए योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन अगले वर्ष में वितरित किए जाएंगे ।

9.11 योजना के अंतर्गत पात्रता किसी अन्य योजना और इसके विपरीत के अंतर्गत प्रोत्साहन अथवा किसी अन्य लाभ के लिए पात्रता को प्रभावित नहीं करेगी।

10 आवेदन

10.1 अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे।

10.2 बिक्री आधारित प्रोत्साहन और ब्रांडिंग/विपणन के अंतर्गत कवरेज के लिए 2021-22 में श्रेणी-I आवेदकों के लिए ईओआई जारी किया जाएगा । चयन पूरे कार्यक्रम अवधि के लिए होगा।

10.3 ईओआई को निधि उपलब्धता के आधार पर श्रेणी- II एसएमई आवेदकों के लिए नवीनतम/जैविक उत्पादों के आधार पर बिक्री प्रोत्साहन और श्रेणी-III के लिए ब्रांडिंग और विपणन के लिए बिक्री आधारित प्रोत्साहन पहले 3 वर्षों अर्थात 2021-22, 2022-23 और 2023-24 में से प्रत्येक के लिए जारी किया जाएगा। ऐसे आवेदकों का कवरेज कार्यक्रम अवधि अर्थात् चयन की तारीख से 31.03.2027 तक के लिए शेष होगा।

10.4 एमओएफपीआई विभिन्न श्रेणियों के आवेदकों की प्रतिक्रिया और धन की उपलब्धता के आधार पर ईओआई की आगे की रिलिज पर विचार करेगा।

10.5 आवेदन विंडो को ईओआई में निर्दिष्ट किया जाएगा। आवेदन विंडों के बंद होने के बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

10.6 आवेदक को **संलग्नक-1** में निर्धारित आवेदन पत्र के अनुसार आवेदन जमा करना होता है।

10.7 एक आवेदक अपने स्वयं के/निर्माण स्थलों को निर्दिष्ट करेगा जो बिक्री के लिए योग्य निर्मित उत्पादों की सोर्सिंग के लिए उपयोग किए जाने का प्रस्ताव है।

10.8 आवेदक आवेदन के साथ प्रस्तुत सूचना / डेटा के सत्यापन के लिए अपने विनिर्माण स्थलों / कार्यालयों के **संलग्नक-7** सहमति के अनुसार प्रारूप में एक वचन-पत्र प्रस्तुत करेगा।

10.9 निर्धारित प्रारूप में आवेदन मिलने पर पीएमए **संलग्नक-2** में चेकलिस्ट के अनुसार

परीक्षा आयोजित करेगा। उपर्युक्त प्रथम दृष्टया परीक्षा मूल आवेदन विंडों की प्राप्ति की तारीख से 15 कार्य दिवसों के भीतर पूरी की जाएगी या यदि मूल भरने को पहले अधूरा के रूप में वापस कर दिया गया था । आवेदन विंडों बंद होने के बाद कोई मूल आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

10.10 यदि उपर्युक्त परीक्षा में एक आवेदन अधूरा पाया जाता है, तो पीएमए आवेदन प्राप्त होने के 15 कार्य दिवसों के भीतर आवेदक को तदनुसार सूचित करेगा । एक आवेदक को पीएमए से इस तरह के संचार के 10 कार्य दिवसों के भीतर एक अधूरा आवेदन पूरा करना होगा, ऐसा न होने पर आवेदक को सूचना के अंतर्गत आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा ।

10.11 प्रत्येक आवेदन के लिए एक नॉन रिफंडेबल आवेदन शुल्क देय होगा। इस तरह की फीस श्रेणी-I आवेदकों के लिए 1,00,000 रुपये (एक लाख रुपये) और श्रेणी-II आवेदकों के लिए 10,000 रुपये (दस हजार रुपये) है। श्रेणी-III आवेदक के अंतर्गत क्रमशः 10,000 रुपये (दस हजार रुपये) और 50,000 रुपये (पचास हजार रुपये) एसएमई और अन्य आवेदकों द्वारा देय होगा।

11 ऑनलाइन पोर्टल

11.1 सभी आवेदन पीएमए द्वारा रखे गए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जमा किए जाएंगे।

11.2 एक आवेदन के सफल प्रस्तुत करने पर, पीएमए योजना से संबंधित भविष्य के सभी संदर्भों के लिए आवेदक को एक अद्वितीय आवेदन आईडी जारी करेगा।

11.3 आवेदन ऑनलाइन पोर्टल पर किया जा सकता है, जिसका यूआरएल https://plimofpi.ifciltd.com है।

11.4 परियोजनाओं के कार्यान्वयन में प्रगति की ऑनलाइन निगरानी के लिए पीएमए द्वारा वेब आधारित एमआईएस शुरू किया जाना चाहिए, यदि आवश्यक हो तो इसे अंतरिम सुधारात्मक उपाय करने में सक्षम बनाया जाए ।

12 परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए)

12.1 इस योजना को एक परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) के माध्यम से लागू किया जाएगा जो सचिवालय, प्रबंधकीय और कार्यान्वयन सहायता प्रदान करने और समय-समय पर एमओएफपीआई द्वारा सौंपे गए अन्य जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होगा।

12.2 अन्य बातों के साथ-साथ पीएमए निम्न के लिए जिम्मेदार होगा:

(i) आवेदन की प्राप्ति, आवेदनों की जांच और प्रसंस्करण और पावती जारी करना।

(ii) एमओएफपीआई को साप्ताहिक जमा करना, इस योजना के अंतर्गत प्राप्त और संसाधित आवेदनों की स्थिति।

(iii) उनकी सिफारिशों को सुगम बनाने के लिए योजना के अंतर्गत गठित सहायता समितियां।

(iv) योजना के अंतर्गत आवेदनों के अनुमोदन के लिए **संलग्नक-3** के अनुरूप एमओएफपीआई को उचित सिफारिशें करना।

(v) प्रोत्साहन वितरण के लिए पात्रता निर्धारित करने के लिए प्रतिबद्ध निवेश का सत्यापन।

(vi) प्रोत्साहनों के वितरण और एमओएफपीआई को उपयुक्त सिफारिशें करने के दावों की जांच।

(vii) संबंधित दस्तावेजों के साथ संवितरण दावों का सत्यापन।

(viii) **संलग्नक-6** और अन्य सूचना/दस्तावेजों के अनुसार त्रैमासिक समीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से योजना की प्रगति और निष्पादन के संबंध में आंकड़ों का संकलन।

(ix) अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए एमओएफपीआई को सचिवालय और अन्य सहायता प्रदान करना।

(x) पीएमए आवेदक से अतिरिक्त जानकारी, विवरण और दस्तावेजों के लिए अनुरोध कर सकता है जैसा कि अपेक्षित समझा जाता है

(xi) पीएमए को साइट विजिट के माध्यम से आवेदक की विनिर्माण यूनिटों और कार्यालयों का भौतिक निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

13. सचिवों का सशक्त समूह (ईजीओएस)

कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में सचिवों का सशक्त समूह (ईजीओएस) योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा और यह सुनिश्चित करने के लिए आउटगो की आवधिक समीक्षा करेगा कि व्यय निर्धारित परिव्यय के भीतर हो । ईजीओ, कैबिनेट की मंजूरी और 10,900 करोड़ रुपये के समग्र वित्तीय परिव्यय की रूपरेखा के भीतर, इसके कार्यान्वयन के दौरान उत्पन्न होने वाले मुद्दों के समाधान के लिए योजना के तौर-तरीकों में बदलाव भी करेगा।

14. समितियां

14.1 मंत्री की अध्यक्षता में एमओएफपीआई द्वारा एक समिति का गठन किया जाएगा। एफपीआई या बाद में निर्णय लेने के लिए, योजना दिशा-निर्देशों का अनुमोदन और पात्रता मानदंडों, चयन मानदंडों, विभिन्न खंडों में उत्पादों की संरचना, अंतर-घटक/खंड आवंटन, प्रोत्साहन के लिए पात्र बनने के लिए न्यूनतम आवश्यक वृद्धि दर, कंपनियों की संख्या पर मानदंड तय/छूट करने, आवेदकों के चयन, अनुदान के रूप में धन की स्वीकृति और रिलिज सहित उनके संशोधनों को स्वीकृत किए गए प्रोत्साहनों तक सीमित किया

जाएगा । एमओएफपीआई खाद्य उत्पादों के विभिन्न क्षेत्रों के लिए प्रोत्साहनों की अनुमोदित दर में परिवर्तन नहीं करेगा।

14.2 एमओएफपीआई उत्पाद वर्गीकरण, बाजरा के विभिन्न स्तरों के साथ समावेशन उत्पादों, विनिर्माण प्रक्रियाओं, अभिनव/जैविक उत्पादों, ब्रांडिंग और विपणन आदि से संबंधित मुद्दों पर सलाह देने के लिए तकनीकी समिति का भी गठन करेगा ।

15 अनुमोदन

15.1 अनुमोदन प्रक्रिया:

15.1.1 आवेदन प्राप्त होने पर पीएमए को एमओएफपीआई द्वारा तय की गई परामर्श के लिए संबंधित समितियों के साथ प्रासंगिक सूचना साझा करनी चाहिए ।

15.1.2 पीएमए आवेदनों की प्रक्रिया करेगा और इस योजना के तहत अनुमोदन के लिए एमओएफपीआई को उचित सिफारिशें करेगा।

15.1.3 एमओएफपीआई इस योजना के तहत अनुमोदन के लिए पीएमए द्वारा अनुशंसित आवेदनों पर विचार करेगा।

15.1.4 मूल्यांकन के लिए आवेदकों से दस्तावेजों की पूर्णता की पूर्णता के अध्ययीन आवेदन खिड़की बंद होने की तारीख से 90 दिनों के भीतर सभी आवेदनों को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए ।

15.1.5 एमओएफपीआई से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, पीएमए को योजना के तहत अनुमोदन का संचार करते हुए 5 कार्य दिवसों के भीतर चयनित आवेदकों को एक पत्र जारी करना चाहिए ।

15.1.6 अनुमोदन पत्र स्पष्ट रूप से निम्नलिखित बताएगा:

(i) आवेदक का नाम
(ii) पात्र उत्पाद खंड और खाद्य उत्पादों का निर्माण किया जाएगा
(iii) खाद्य उत्पादों की विनिर्माण प्रक्रियाओं की श्रृंखला पर विनिर्देश, यदि कोई हो
(iv) प्रोत्साहन की गणना के लिए आधार वर्ष
(v) आधार वर्ष 2019-20 बिक्री के रूप में आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र में सूचित
(vi) प्रथम वर्ष-षष्टम वर्ष के लिए अनुमानित वृद्धिशील बिक्री
(vii) प्रोत्साहन की वर्षवार दर
(viii) बीएंडएम में प्रतिबद्ध निवेश और व्यय जैसा कि लागू है, वर्षवार
(ix) वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की निर्धारित तिथि
(x) अन्य विस्तृत जानकारी, यदि कोई हो।

15.1.7 यदि किसी आवेदक का चयन कई पात्र उत्पाद खंडों के लिए किया जाता है, तो अलग-अलग अनुमोदन पत्र जारी किए जाएंगे और आवेदक द्वारा प्रत्येक मामले के लिए सभी आवश्यकताओं का अलग से अनुपालन किया जाएगा।

15.1.8 उपरोक्त अनुमोदन पत्र को प्रोत्साहन वितरण की गारंटी के रूप में नहीं माना जाएगा क्योंकि यह इन दिशा-निर्देशों में उल्लिखित संवितरण दावा और अन्य मानदंडों को प्रस्तुत करने के बाद प्रोत्साहन के लिए पात्रता के सत्यापन पर निर्भर करेगा।

15.1.9 चयनित आवेदक पीएमए द्वारा अनुमोदन पत्र जारी करने की तिथि के दो सप्ताह के भीतर, एमओएफपीआई के पक्ष में, तीन वर्ष के लिए मान्य अथवा जब तक एमओएफपीआई ऐसी गारंटी जारी नहीं करता, जो भी कम हो, प्रतिबद्ध निवेश के 3% के बराबर राशि की निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत करेगा।

15.1.10 यदि कोई चयनित आवेदक किसी भी स्तर पर अपात्र पाया जाता है, या यदि उसने योजना के अंतर्गत जारी अधिसूचनाओं, आदेशों, दिशानिर्देशों आदि का अनुपालन नहीं किया है, या किसी भी स्तर पर योजना के अंतर्गत अनुमोदन की पेशकश को अस्वीकार कर दिया है, तो किसी भी कारण से, ऐसे चयनित आवेदक का प्रोत्साहन दावा जब्त कर लिया जाएगा। बैंक गारंटी लागू की जाएगी जिसके बाद जारी प्रस्ताव पत्र रद्द हो जाएगा।

15.1.11 ऐसे मामले में प्रस्ताव को प्रतीक्षा सूची वाले आवेदक को बढ़ाया जा सकता है बशर्ते योजना के अंतर्गत न्यूनतम 3 वर्ष की अवशिष्ट अवधि उपलब्ध हो।

15.2 अनुमोदन के बाद

15.2.1 पीएमए को निवेश के संबंध में आवश्यक होने पर चयनित आवेदक द्वारा की गई परियोजना की प्रगति की निगरानी करनी चाहिए।

15.2.2 पीएमए को बैंक गारंटी के रोलओवर की निगरानी करनी चाहिए और इन दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक गारंटी जारी करने/लागू करने के लिए समय पर कार्रवाई की जाएगी।

16. प्रोत्साहन राशि का वितरण

16.1 योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि का दावा करने के लिए आवेदक पीएमए को प्रोत्साहन राशि वितरित करने के लिए दावे प्रस्तुत करेंगे। आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि दावे सभी प्रकार से पूर्ण हों और इन दिशानिर्देशों के **संलग्नक-4** में निर्धारित प्रारूप के अनुसार आवश्यक सभी दस्तावेजों के साथ हों।

16.2 एक आवेदक वार्षिक आधार पर प्रोत्साहन वितरण के लिए दावा प्रस्तुत करेगा जो पिछले वित्तीय वर्ष की अप्रैल से मार्च की अवधि में की गई बिक्री के लिए है। किसी भी अवधि के लिए दावे केवल एक बार किए जाएंगे, जब तक कि वापस नहीं लिया जाता, और उक्त अवधि के लिए पूववर्ती भाग दावों की अनुमति नहीं दी जाएगी।

16.3 यदि कोई आवेदक कई उत्पादों के खंडों के लिए प्रोत्साहन के लिए दावा करता है, तो ऐसे प्रत्येक खंड के लिए अलग-अलग आवेदन प्रस्तुत किए जाएंगे।

16.4 प्रोत्साहन राशि के वितरण के लिए दावा आवेदकों द्वारा वित्तीय वर्ष के अंत से 9 महीने के भीतर दायर किया जाएगा, जिससे दावा संबंधित है ।

16.5 वितरण संवितरण के लिए दावा प्राप्त होने पर पीएमए को संबंधित तकनीकी समिति के साथ

संबंधित सूचना को उनकी सलाह के लिए साझा करना चाहिए जैसा कि समिति के आदेश में या किसी अन्य मुद्दे पर संबंधित समिति को एमओएफपीआई द्वारा निर्दिष्ट किया गया है। समितियों को उन्हें संदर्भित मामलों पर अपनी सलाह प्रदान करनी चाहिए।

16.6 पीएमए को समितियों की सहायता करनी चाहिए ताकि उनकी सिफारिश को समयबद्ध तरीके से सुगम बनाया जा सके। समिति की सिफारिशों को पीएमए द्वारा आवेदकों के दावों की छानबीन में ध्यान में रखा जाना चाहिए।

16.7 पीएमए आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए संवितरण दावों की जांच करेगा । पीएमए को इन दिशानिर्देशों में निर्धारित विधि और आवेदक को जारी अनुमोदन पत्र के आधार पर आवेदक को देय पात्रता का सत्यापन और आकलन करना चाहिए ।

16.8 आवेदक को प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी के मामले में कंपनी और स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट के मामले में सांविधिक लेखा परीक्षक से प्रमाण पत्र के साथ-साथ प्रत्येक दावे के साथ बिक्री की गणना प्रस्तुत करनी होती है ।

16.9 पीएमए को प्रोत्साहनों के दावे के संबंध में किसी भी दस्तावेज को सत्यापित करने का अधिकार होगा, जिसमें सांविधिक लेखा परीक्षक या स्वतंत्र चार्टर्ड एकाउंटेंट प्रमाण पत्र, जो भी लागू हो, और विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों को प्रस्तुत रिटर्न तक सीमित न हो । पीएमए को वैधानिक लेखा परीक्षक या स्वतंत्र चार्टर्ड एकाउंटेंट प्रमाण पत्र, बैंक विवरण आदि के माध्यम से क्रमशः बिक्री और निवेश के अनुरूप अंतिम प्राप्ति और निपटान/भुगतान की जांच करने का अधिकार भी होगा ।

16.10 अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के निर्वहन में पात्रता और प्रोत्साहन राशि या किसी अन्य मामले के निर्धारण के संबंध में किसी भी संदेह के मामले में, पीएमए को ऐसे मामलों को स्पष्टीकरण के लिए एमओएफपीआई के पास भेजना चाहिए और इस संबंध में एमओएफपीआई का निर्णय अंतिम होगा ।

16.11 पीएमए ऐसे दावे की प्राप्ति की तारीख और सभी सहायक दस्तावेजों से 60 दिनों के भीतर प्रोत्साहन वितरण के दावे की प्रक्रिया करेगा और एमओएफपीआई को उचित सिफारिशें करेगा।

16.12 एमओएफपीआई प्रोत्साहन वितरण के लिए पीएमए द्वारा जांच और अनुशंसित संवितरण के दावों पर विचार और अनुमोदन करेगा ।

16.13 एमओएफपीआई आवेदक द्वारा सभी पूर्व-वितरण औपचारिकताओं को पूरा करने और पीएमए से अनुमोदन के बाद निधि वितरित करेगा।

16.14 प्रोत्साहन राशि का वितरण पीएफएमएस के माध्यम से प्रत्यक्ष बैंक हस्तांतरण के माध्यम से या केवल आवेदक के नाम पर समायोजन के किसी अन्य तंत्र के माध्यम से किया जाएगा।

16.15 आवेदकों को पात्र उत्पादों की बिक्री का मिलान करना होगा, जिसके आधार पर प्रोत्साहन वितरण के दावे पहले ही दायर किए जा चुके हैं, पीएमए द्वारा निर्धारित दस्तावेजों के साथ, वित्तीय वर्ष के 31 दिसंबर तक, जिसके बाद दावा संबंधित है ।

16.16 पीएमए उक्त सामंजस्य को सत्यापित करेगा। संवितरित किए गए अतिरिक्त दावों के मामले में, आवेदक वितरण की तारीख पर प्रचलित 3 वर्ष के एसबीआई एमसीएलआर पर गणना किए गए ब्याज के साथ वापसी योग्य किसी भी प्रोत्साहन राशि के लिए एमओएफपीआई की प्रतिपूर्ति करेगा, जो वार्षिक रूप से कंपाउंड किया गया है (आवेदक द्वारा अतिरिक्त भुगतान और वापसी की तारीख के बीच की अवधि के लिए)।

16.17 यदि पीएमए या एमओएफपीआई इस बात से संतुष्ट है कि योजना के अंतर्गत पात्रता और/अथवा प्रोत्साहनों का वितरण तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत करके प्राप्त किया गया है या सूचना के मिथीकरण, तो एमओएफपीआई आवेदक से 3 वर्ष की तारीख में प्रचलित एसबीआई एमसीएलआर, सुनवाई के आवेदक को अवसर देने के बाद प्रतिवर्ष प्रचलित ब्याज के साथ प्रोत्साहन वापस करने के लिए कह सकता है ।

16.18 पीएमए को तिमाही आधार पर समेकित राशि के रूप में एमओएफपीआई को बजटीय आवश्यकताएं प्रस्तुत करनी चाहिए।

16.19 पीएमए प्रोत्साहनों के लिए प्राप्त संवितरण दावों, वितरित राशि, तिमाही आधार पर प्रोत्साहनों के वितरण में अस्वीकृति/विलंब के कारणों के विवरण के साथ एमओएफपीआई को जानकारी प्रस्तुत करेगा ।

16.20 यदि कोई आवेदक किसी भी वर्ष के लिए सीमा वृद्धि मानदंडों को पूरा नहीं करता है, तो आवेदक उस विशेष वर्ष में प्रोत्साहन के लिए पात्र नहीं होगा। तथापि, आवेदक को योजना के कार्यकाल के दौरान बाद के वर्षों में प्रोत्साहन का दावा करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा, बशर्ते पात्रता मानदंड ऐसे बाद के वर्षों के लिए पूरे किए जाएं।

17. समीक्षा

17.1 योजना की प्रगति और निष्पादन के संबंध में आईमैक/ईजीओ द्वारा आवधिक समीक्षा की जाएगी।

17.2 सभी अनुमोदित आवेदक इन दिशानिर्देशों के **संलग्नक-6** में प्रदान किए गए प्रारूप में प्रत्येक तिमाही के अंत से 30 दिनों के भीतर स्व-प्रमाणित त्रैमासिक समीक्षा रिपोर्ट (क्यूआरआर) प्रस्तुत करेंगे ।

18. अवशिष्ट

18.1 इक्विटी स्वामित्व में परिवर्तन या प्रमोटर संस्थाओं में परिवर्तन के कारण चयनित आवेदक के नियंत्रण में परिवर्तन के मामले में, एमओएफपीआई को तुरंत सूचित किया जाना चाहिए।

18.2 संबंधित पक्षों के साथ चयनित आवेदक द्वारा सभी लेनदेन प्रासंगिक विधियों और लेखांकन मानकों के 18 प्रावधानों के अध्यधीन होंगे। अधिनियम के अंतर्गत किसी भी कार्यवाही के मामले में जिसमें संबंधित पक्षों के बीच लेन-देन में मूल्य निर्धारण का समायोजन किया जाता है, तो प्रोत्साहन और/अथवा पात्र प्रतिबद्ध निवेश की गणना में प्रभाव दिया जाएगा ।

18.3 वित्तीय मामलों में किसी भी कदाचार को समाप्त करने के लिए, जहां सरकार द्वारा उद्योग को संवितरण किया जाता है, पारदर्शिता और समानता को बढ़ावा देने के लिए भ्रष्ट प्रथाओं के प्रति निवारक प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इसलिए, इस प्रक्रिया में शामिल संवेदनशीलताओं को ध्यान में रखते हुए और खरीद के मामले में एक सत्यनिष्ठा संधि को अपनाने के संबंध में केंद्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशों से सबक लेते हुए, इस योजना के अंतर्गत आवेदकों से वचन-पत्र प्राप्त करने का निर्णय लिया गया है ।

18.4 उपक्रमों के दो प्रारूप **संलग्नक-8** के प्रारूप क और **प्रारूप ख** के रूप में संलग्न हैं। इन उपक्रमों को आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किया जाना है, जो कंपनी के सीईओ/एमडी/निदेशक/फर्म के

भागीदार/मालिक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित हैं और ऐसा करने के लिए प्राधिकार के साथ पदनाम का वर्णन करते हैं ।

18.5 **प्रारूप क** में वचन-पत्र उन सभी आवेदकों द्वारा प्रदान किया जाएगा जिनके आवेदन या दावे प्रोत्साहनों के अनुमोदन या वितरण के लिए विचाराधीन हैं । जो आवेदक वचन-पत्र जमा नहीं करते हैं, उनके आवेदनों या दावों पर कार्रवाई और विचार नहीं किया जाएगा ।

18.6 अखंडता के अनुपालन की पुष्टि के लिए **प्रारूप ख** में वचनपत्र आवेदकों द्वारा प्रोत्साहन के वितरण के लिए दावों को प्रस्तुत करने के बाद और निधियां जारी करने से पहले किसी भी स्थिति में प्रदान किया जाएगा। जब तक उपर्युक्त वचनपत्र प्रदान नहीं किया जाता तब तक प्रोत्साहनों की जारी करने से रोक दी जाएगी ।

18.7 यदि आवेदक कंपनी के अलावा अन्य है, तो लागू/समकक्ष दस्तावेज/प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे ।

18.8 इन दिशा-निर्देशों को योजना के जारी रहने के दौरान किसी भी समय संशोधित/परिवर्तित किया जाएगा और इस तरह के संशोधन/संशोधन योजना के कार्यकाल के दौरान चयनित आवेदकों सहित सभी आवेदकों के लिए बाध्यकारी होंगे ।

मनोज जोशी
अपर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष:011--26492476
ईमेल: as--mofpi@gov.in

नई दिल्ली,
दिनांक: 02 मई, 2021

परिशिष्ट-क: विभिन्न श्रेणियों के आवेदकों के लिए पात्रता मानदंड		
श्रेणी-**I**:		
खंड	वर्ष **2019-20** में सभी खाद्य उत्पादों की न्यूनतम बिक्री (करोड़ रुपये)	न्यूनतम निवेश (करोड़ रुपये)
आरटीई/आरटीसी	500	100
प्रसंस्कृत फल एवं सब्जियां	250	50
समुद्री उत्पाद	600	75
मोजरेला चीज	150	10 एमटीपीडी प्लांट- 23 करोड़ रुपए
श्रेणी-**II**:		
(i) उद्योग आधार, उद्यमी पंजीकृत; (ii) प्रोत्साहित किए जाने वाले प्रत्येक अभिनव/जैविक उत्पादों के लिए 2019-20 के दौरान 1 करोड़ रुपये की न्यूनतम बिक्री हासिल की; (iii) प्रोत्साहित किए जाने वाले प्रस्तावित जैविक उत्पाद के लिए आवेदक को जैविक उत्पाद हेतु एपीडा के साथ पंजीकृत किया जाएगा		
श्रेणी-**III:**		
(i) पूरी तरह से भारत में निर्मित खाद्य उत्पादों को बेचने के लिए केवल भारतीय ब्रांडों को कवर किया गया है; (ii) ब्रांडिंग और विपणन या तो आवेदक द्वारा सीधे या उसकी सहायक कंपनी या किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से किया जाएगा।		

परिशिष्ट-ख: विभिन्न खाद्य खंड के अंतर्गत खाद्य उत्पादों का कवरेज

योजना के अंतर्गत, खाद्य उत्पादों के निम्नलिखित चार खंडों को शामिल किया गया है :
1.रेडी टू ईट/रेडी टू कुक (आरटीई/आरटीसी)
2. फल और सब्जी उत्पाद
3. समुद्री उत्पाद
4.मोत्ज़ारेला चीज

उत्पाद समूह जो 4 से ऊपर के खंडों के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे, नीचे दी गई तालिका के कॉलम 2 में दर्शाए गए हैं। प्रत्येक उत्पाद समूहों के अंतर्गत खाद्य उत्पादों का विवरण कॉलम 3 में दिया गया है। जिन उत्पादों को कॉलम 3 में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें कॉलम 4 में दर्शाए गए उत्पादों के अलावा योजना से बाहर रखा गया है ।

आरटीई/आरटीसी श्रेणी में रेडी मिल्स, सूप और रेडी मिक्स, इंडियन नमकीन स्नैक्स, पैकेज्ड इंडियन स्वीट्स, आइसक्रीम डेसर्ट, स्नैक बार, बेकरी उत्पाद, रेडी टू ड्रिंक उत्पाद आदि से लेकर विभिन्न प्रसंस्कृत पैकेज्ड उत्पाद शामिल हैं । फ्लोर/आटा को छोड़कर मोटे अनाज के निर्दिष्ट % वाले उत्पादों को शामिल करने/अपवर्जन के लिए उनकी स्थिति पर ध्यान दिए बिना शामिल किया जाता है ।

आरटीई/आरटीसी श्रेणी में कृषि उत्पादों/खाद्य वस्तुओं जैसे चावल, आटा, चीनी, दालें, खाद्य तेल आदि शामिल नहीं हैं । इसमें पिज्जा, पास्ता, नूडल्स, स्पेगेटी (एचएसएन 1 9 02); ब्रेकफास्ट सिरिअल्स (एचएसएन 1904); मिष्ठान्न (एचएसएन 1704,1806); माल्ट आधारित पेय/पाउडर (एचएसएन 1901); पैक किए गए खोल/भुना हुआ/प्रसंस्कृत नट/मुख्य रूप से नट्स (0802) से बने मिश्रण जैसी श्रेणियां भी शामिल नहीं हैं ।

आरटीई/आरटीसी उत्पादों में से कुछ फल और सब्जी और समुद्री उत्पाद खंडों की सूची में दिखाई देते हैं जैसे- आरटीसी आलू उत्पाद-फ्राइज़, टिक्की आदि (एचएसएन 2004 और 2005) आलू चिप्स (20052000) को छोड़कर; पैक सॉस- टेबल सॉस, पास्ता सॉस, कुकिंग सॉस, ड्राई सॉस, केचप, सरसों, सीप सॉस, सलाद ड्रेसिंग, डिप्स, और अन्य सॉस (एचएसएन 2002, 2103); सभी फल आधारित जाम/जेली (एचएसएन 2007); पैक मिश्रित मसाले/ड्राई सॉस (ड्राई/डिहाइड्रेटेड सॉस, ड्राई रेसिपी पाउडर मिक्स, ड्राई पाउडर मैरीनेड्स) (एचएसएन 2103); समुद्री खंड: डिब्बाबंद, पस्त और ब्रेडेड, अचार, सॉसेज (एचएसएन 1604 और 1605) । आरटीई/आरटीसी खंड के लिए चयनित आवेदक एफएंडवी और मरीन खंडों से ऐसे आरटीई/आरटीसी उत्पादों के लिए प्रोत्साहन प्राप्त करने के पात्र होंगे ।

फल और सब्जी श्रेणी में उन पैकेज्ड प्रसंस्कृत उत्पादों को शामिल किया जाएगा जो उबले हुए/उबले/जमे हुए/सूखे/अनौपचारिक/अनौपचारिक रूप से परिरक्षित/संसाधित या योजक और संरक्षक के माध्यम से परिरक्षित हैं । तदापि आलू चिप्स को इस योजना से बाहर रखा गया है। इस योजना के अंतर्गत फलों के रस > 10 प्रतिशत फलों के रस की मात्रा को प्रोत्साहित किया जाएगा । उपभोक्ता आकार के पैक में पैक किए गए मसालों (मिश्रित और एकल मसाले) को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा । फल और सब्जी श्रेणी असंसाधित/ताजे फल और सब्जियों को बाहर करेगी ।

समुद्री उत्पादों में सामान्य प्रोत्साहनों की दर से मछली उत्पाद (ठंडा/जमे हुए/सूखे/नमकीन/ब्रिन्ड/स्मोक्ड) और क्रस्टेसियन और मोलस्क (ठंडा/जमे हुए/उबले/उबले हुए) को शामिल किया जाएगा । 1604 और 1605 और आईक्यूएफ मूल्य वर्धित समुद्री उत्पादों और फ्रीज-सूखे मूल्य वर्धित समुद्री उत्पादों (0302, 0304, 0306, 0307) के अंतर्गत कवर किए गए मूल्य वर्धित प्रसंस्कृत उत्पादों को उच्च दर पर प्रोत्साहित किया जाएगा।
मोत्ज़ारेला चीज श्रेणी में उपभोक्ता पैक/बल्क पैक में पैक मोत्ज़ारेला चीज शामिल होगा ।

कॉलम1	कॉलम 2	कॉलम 3	कॉलम 4
आरटीई/आरटीसी खंड			
क्र.स	**उत्पाद समूह**	**कवर किए गए उत्पाद**	**बहिष्करण**
1	पैकेज्ड रेडी मिल्स, सूप और रेडी मिक्स, अन्य आरटीई/आरटीसी उत्पाद	1. रेडी मिल्स (शेल्फ स्टेबल, जमे हुए, सूखे, ठंडा रेडी मिल्स जिन्हें हीटिंग के अलावा किसी भी खाना पकाने की तैयारी की आवश्यकता नहीं है) और डिनर मिक्सेज (रेडी टु कुक/प्रिपेयर प्रारूप में); डायबिटिक खाद्य पदार्थ; सॉसेज, सलेमिस, नगेट्स और हिंडिंग के अंतर्गत अन्य ऐसी तैयारियां 1601 और 1602 2. सूप और शोरबा (शेल्फ स्टेबल, निर्जलित, तत्काल, ठंडा और जमे हुए सूप) 3. रेडी मिक्सेज (डेजर्ट मिक्सेज, बैटर मिक्सेज, ठंडाई मिक्स) - एचएसएन 1601, 1602, 2104 के अंतर्गत सभी उत्पाद शामिल हैं एचएसएन 2106* के अंतर्गत सभी उत्पादों को प्रोटीन कंसन्ट्रेट, शीतल पेय, पान मसाला, सुपारी, पान चूर्ण के रूप में कॉलम 4 में दिया गया है शामिल हैं * आरटीई/आरटीसी खंड के क्र.सं. 1,2,3 पर लागू	प्रोटीन कंसन्ट्रेट, शीतल पेय, पान मसाला, सुपारी, पान चूर्ण (21061000-40; 21069070)
2	मिश्रण (नमकीन, भुजिया), फूला हुआ स्नैक्स, स्नैक बार	1. इंडियन नमकीन स्नैक्स-मिक्सचर (नमकीन, भुजिया) एक्सट्रूडेड स्नैक्स सहित 2. फूला हुआ स्नैक्स: प्रोसेस्ड/पुनर्गठित/शैप्ड सिरिअल्स आधारित स्नैक्स 3. स्नैक बार्स: सिरिअल्स और नॉन सिरिअल्स बार, ग्रेनोला/मुसीली बार्स, नाश्ता बार्स, एनर्जी और न्यूट्रेशन बार्स, फल बार्स और अन्य स्नैक्स बार्स (एचएसएन 2106)	
3	स्वीट्स	पैकेज्ड पारंपरिक भारतीय मिठाई (एचएसएन 2106)	

4	आइसक्रीम डेसर्ट, रेडी टू ड्रिंक उत्पाद	1. आइसक्रीम: इमपल्स आइसक्रीम, टेक होम आइसक्रीम , फ्रोजन मिठाई: केक, जिसमें शामिल हैं पाई/टार्टस इत्यादि 2. दूध आधारित पेय पदार्थ- दही, छाछ, लस्सी आदि। 3. सोया दूध - एचएसएन 2105 और 0403 के अंतर्गत सभी उत्पाद शामिल हैं - एरेटेड वॉटर, लेभोनेड, गैर-अल्कोहलिक बीयर को छोड़कर एचएसएन 2202 के अंतर्गत सभी उत्पादों को शामिल किया गया है। समावेशन का एक हिस्सा फल और सब्जियों की श्रेणियों के अंतर्गत शामिल किया गया है (जैसा कि फल और सब्जी खंड के क्र.सं. 3 में उल्लेख किया गया है)	एरेटेड पानी, लेभोनेड, नॉन एल्कोहलिक बियर (एचएसएन 22021010-9100; 22029990)
5	बेकरी उत्पाद - बिस्कुट, पैकेज्ड केक	1. मीठे बिस्कुट: चॉकलेट लेपित बिस्कुट, कुकीज़, भरे बिस्कुट, सादे बिस्कुट, और वेफर्स 2. नमकीन बिस्कुट: नॉन स्वीट बिस्कुट और क्रेकर्स जो अक्सर चीज और अन्य नमकीन खाद्य पदार्थों के साथ कंज्यूम किए जाते हैं। 3. पैकेज्ड केक: चॉकलेट केक, स्ट्रॉबेरी और अन्य फ्रूट फ्लेवर्ड केक, फ्रूट केक, गाजर केक, चीज़केक, मफिन आदि - ताजा/खमीर रोटी को छोड़कर एचएसएन 1905 के अंतर्गत सभी उत्पाद शामिल हैं।	ताजा/खमीर रोटी (एचएसएन 19051000)

6	ऊपर विनिर्दिष्ट % मिलेट सामग्री के साथ मोटा अनाज आधारित उत्पाद	एमओएफपीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम बाजरा% वाला कोई भी खाद्य उत्पाद- फ्लोर/आटा को छोड़कर बाजरा आधारित उत्पादों के मामले में बहिष्करण में उल्लिखित उत्पादों पर ध्यान दिए बिना	बाजरा आटा

फल और सब्जियां खंड			
1	प्रसंस्कृत/परिरक्षित फल और सब्जियां उत्पाद	1. संसाधित/परिरक्षित फल और सब्जियां उत्पाद - स्टीम्ड, उबले, जमे हुए, सूखे, मसालेदार, अनौपचारिक रूप से परिरक्षित 2. आरटीसी आलू/सब्जी उत्पाद 3. आलू- आटा, भोजन, पाउडर, गुच्छे, ग्रेनुअल्स और टिकिया - फल स्क्वैश - एचएसएन 0710, 0711, 0712, 0811, 0812, 0813, 0814, 1105, 1106, 1903, 2001, 2003, 2004, 2006, 2007 के अंतर्गत सभी उत्पाद शामिल हैं - सभी उत्पादों को ताजे फल और सब्जियों, आलू चिप्स और मुख्य रूप से नट, खजूर और अंजीर से बने उत्पादों को छोड़कर एचएसएन 0804, 2005, 2008 के अंतर्गत शामिल हैं	1. ताजे फल और सब्जियां 2. आलू चिप्स (एचएसएन 20052000) 3. मुख्य रूप से खजूर, अंजीर से बने उत्पाद (एचएसएन 8041010-90, 8042010-90, 8043000, 8044000, 8045010-20, 8045090, 20052000, 20081100-1930, 20081990)
2	पैकेज्ड मिक्स्ड मसाले, मिक्स्ड मसालों और सीजनिंग्स	1. पैकेज्ड क्रस्ड या जमीन निर्जलित जड़ी बूटियों और मसाले- (मसाले बोर्ड द्वारा अधिसूचित मसाले) 2. मिश्रित मसालों और सिजनिंग्स (सूखी/निर्जलित सॉस, ड्राई रेसिपी पाउडर मिक्स , सूखी पाउडर मरीनेड्स 3. ओलेरसिन: ओलेरसिन के सभी प्रसंस्कृत रूप - सभी उत्पादों में जड़ी बूटियों और मसालों, विभिन्न मसूड़ों, सजीयों और अन्य सब्जियों के कच्चे/असंसाधित रूपों को एचएसएन 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910,	जड़ी बूटियों और मसालों, विभिन्न गम्स, लाख और अन्य सब्जियों सैप और अर्क के सभी कच्चे/असंसाधित रूप

		1301, 2103, 2906, 3003, 3301 के अंतर्गत शामिल किया गया है।	
3	फलों का रस और फल आधारित पेय • जैम/जेली • टमाटर • केचप, पेस्ट, प्यूरी और सभी सॉस नारियल और अन्य प्लांट वाटर्स	1. 100% फलों का रस/पल्प/पेस्ट- 100% कंसन्ट्रेट ज्यूस से नहीं, पुनर्गठित 100% रस और जमे हुए 100% रस 2. फल आधारित पेय फल सामग्री =/> 10% रस पेय ताजा रस या कंसन्ट्रेट से बना है, 10% से अधिक फलों का रस सामग्री होने; पैकेज्ड नारियल पानी और अन्य प्लांट वाटर 3. सभी फल आधारित जैम/जेली 4. टमाटर- केचप, पेस्ट और प्यूरी 5. पैकेज्ड सॉस: टेबल सॉस, पास्ता सॉस, कूकिंग सॉस, सूखी सॉस, केचप, सरसों, सीप सॉस, सलाद ड्रेसिंग, डिप्स, और अन्य सॉस - एचएसएन 2002, 2007, 2009, 2103 के अंतर्गत सभी उत्पाद शामिल हैं। - सभी उत्पादों को एरेटेड वॉटर, लेभोनेड, नॉन-अल्कोहलिक बीयर को छोड़कर एचएसएन 2202 के अंतर्गत शामिल किया गया है।	एरेटेड वाटर, लेभोनेड, नॉन एल्कोहलिक बियर (एचएसएन 22021010-9100; 22029990)

समुद्री उत्पाद खंड			
सामान्य प्रोत्साहन के साथ समुद्री उत्पाद			
1	▪ मछली क्रस्टेसियन/मोलस्क	**1.** मछली ठंडा/जमे हुए/सूखे/नमकीन/ब्राइन्ड/स्मोक्ड **2.** मछली पट्टिका और मांस-ताजा, ठंडा और जमे हुए **3.** क्रस्टेसियन- ठंडा, जमे हुए, स्टिम्ड, उबले हुए 4. मोलस्क - ठंडा, जमे हुए, स्टिम्ड, उबले हुए - एचएसएन **0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307** के अंतर्गत सभी उत्पाद शामिल हैं। आईक्यूएफ और एएफडी के कुछ उत्पादों को उच्च प्रोत्साहन के लिए शामिल किया गया है और नीचे क्र.सं. **3** और **4** में दिए गए हैं ।	-
उच्च मूल्य वर्धित प्रोत्साहन के साथ समुद्री उत्पाद			
2	मूल्य वर्धित समुद्री उत्पाद	- मूल्य वर्धित समुद्री उत्पाद: डिब्बाबंद, पस्त और ब्रेडेड, अचार, सॉसेज - एचएसएन 1604 और 1605 के अंतर्गत सभी उत्पाद शामिल हैं	
3	आईक्यूएफ मूल्यवर्धित समुद्री उत्पाद	1. आईक्यूएफ झींगा: स्ट्रेचड झींगा (नोबसी), बटरफ्लाई/मसालेदार झींगा, आईक्यूएफ स्केवर्ड झींगा, आईक्यूएफ सुशी झींगा 2. ब्लैंच्ड स्किड अनानास कट, कटलफिश सुशी, टूना लियन, शशीमी ग्रेड टूना	
4	फ्रीज-सूखे मूल्य वर्धित उत्पाद	त्वरित फ्रीज सूखे झींगा/झींगा पाउडर, फ्रीज सूखे सेफालोपोड्स	

मोत्ज़ारेला चीज खंड			
1	**मोत्ज़ारेला चीज**	- थोक पैकेजिंग में मोत्ज़ारेला चीज - उपभोक्ता पैकेजिंग में मोत्ज़ारेला चीज - 0406 के अंतर्गत केवल मोत्ज़ारेला चीज को शामिल किया गया है	मोत्ज़ारेला को छोड़कर अन्य सभी चीज (एचएसएन 04061000-4000)

परिशिष्ट-ग: वृद्धिशील बिक्री पर प्रोत्साहन की दरें				
वर्ष	**आरटीसी/ आरटीई**	**प्रसंस्कृत फल एवं सब्जी**	**समुद्री उत्पाद ***	**मोजरेला चीज**
2021-22	10%	10%	6%	10%
2022-23	10%	10%	6%	10%
2023-24	10%	10%	6%	10%
2024-25	10%	10%	6%	8%
2025-26	9%	9%	5%	6%
2026-27	8%	8%	4%	4%

*** मूल्य वर्धित समुद्री उत्पादों के लिए 10% प्रोत्साहन दर, जैसा कि सभी 6 वर्षों के लिए परिशिष्ट-बी में निर्दिष्ट है।**

**** वृद्धिशील बिक्री की गणना के लिए आधार वर्ष पहले 4 वर्षों के लिए 2019-20 होगा। 5वें और छठे वर्ष के लिए, आधार वर्ष क्रमशः 2021-22 और 2022-23 में स्थानांतरित हो जाएगा ।**

परिशिष्ट-घ: प्रोत्साहन के लिए उत्पादों के बिक्री में न्यूनतम पात्रता सीएजीआर		
	खंड	**सीएजीआर (%)**
1.	आरटीसी/आरटीई फूड्स	10%
2.	प्रसंस्कृत फल एवं सब्जी	10%
3.	समुद्री उत्पाद	5%
4.	मोजरेला चीज	15%

परिशिष्ट-घ के लिए दृष्टांत			
	वर्ष	**आधार वर्ष**	**आधार वर्ष की बिक्री पर सीएजीआर कंप्यूटिंग के लिए वर्षों की संख्या**
1.	2021-22	2019-20	1
2.	2022-23	2019-20	2
3.	2023-24	2019-20	3
4.	2024-25	2019-20	4
5.	2025-26	2021-22	4
6.	2026-27	2022-23	4

परिशिष्ट-ङ: मूल्यांकन पात्रता

श्रेणी-I आवेदक:

बिक्री और निवेश मानदंडों पर आवेदकों का चयन नीचे दिए गए संयुक्त स्कोर पर आधारित होगा

	मानदंड	वेटेज (%)
1.	योजना के अंतर्गत कवरेज के लिए आवेदन में सूचीबद्ध खाद्य उत्पादों की 2019-20 में कुल बिक्री (घरेलू और निर्यात)	33.3
2.	निर्यात बिक्री (ऊपर क्र.सं. 1 में शामिल आईटम्स)	33.3
3.	प्रतिबद्ध निवेश	33.3
		100

उच्चतम बिक्री, निर्यात और प्रतिबद्ध निवेश वाले आवेदक को प्रत्येक मापदंड के लिए 100 अंक प्राप्त होंगे। अन्य आवेदकों को उच्चतम अंक वाले आवेदक की तुलना में उनकी बिक्री और प्रतिबद्ध निवेश के अनुपात में अंक दिए जाएंगे।

श्रेणी-II आवेदक: अभिनव उत्पादों के आवेदकों का चयन नीचे दिए गए संयुक्त स्कोर के आधार पर किया जाएगा:

चयन मापदंड: अभिनव उत्पाद

	मानदंड	वेटेज (%)
1.	उत्पाद की बिक्री 2019-20 में बढ़ावा देने की मांग की	25
2.	उत्पाद की बिक्री में सीएजीआर को 3 वर्षों के लिए पदोन्नत करने की मांग (2016-17 से 2019-20)	15
3.	पिछले 3 वर्षों में किया गया निवेश (2017-18 से 2019-20)	10
4.	उत्पादन और विपणन में निवेश के लिए धन की उपलब्धता (स्वयं का फंड, ऋण, निजी इक्विटी, उद्यम पूंजी, एंजेल इन्वेस्टर्स के साथ समझौता)	10
5.	उत्पादों की नवीनता/नोवेल्टी का आकलन, उत्पाद पर पेटेंट, यूएसपी, मान्यता यदि कोई हो, विशेष विशेषताएं, व्यापार योजना, निर्यात क्षमता, स्केलेबिलिटी, कुल बिक्री में स्वयं के विनिर्माण का हिस्सा	40
	कुल	**100**

चयन मानदंड: ऑर्गेनिक उत्पाद

मानदंड	वेटेज (%)

1.	उत्पाद की बिक्री वर्ष 2019-20 में बढ़ावा देने की मांग की	25
2.	बिक्री उत्पादों में सीएजीआर को 3 वर्षों के लिए बढ़ावा दिया जाएगा (2016-17 से 2019-20)	15
3.	पिछले 3 वर्षों में किया गया निवेश (2017-18 से 2019-20)	15
4.	उत्पादन और विपणन में निवेश के लिए धन की उपलब्धता (निजी इक्विटी, उद्यम पूंजी, एंजेल इन्वेस्टर्स के साथ समझौता) ।	15
5.	यूएसपी का आकलन, उत्पाद विकास का स्तर, व्यापार योजना, निर्यात क्षमता, स्केलेबिलिटी, कुल बिक्री में उत्पाद के स्वयं के विनिर्माण का हिस्सा	30
	कुल	**100**

आवेदकों को कुल स्कोर के आधार पर रैंक दी जाएगी और चयनित आवेदक की संख्या घटक के लिए परिव्यय के आवंटन के आधार पर होगी ।

श्रेणी-III आवेदक: आवेदकों का चयन नीचे दिए गए संयुक्त स्कोर के आधार पर किया जाएगा:			
बोली मापदंड: ब्रांडिंग			
	मापदंड	**बाजार**	**वेटेज (%)**
1.	वर्ष 2019-20 ब्रांड के खाद्य उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने की मांग *	कुल	10
		निर्यात	10
2.	ब्रांड के उत्पादों की बिक्री * में सीएजीआर को 3 वर्षों (2016-17 से 2019-20) के लिए बढ़ावा देने की मांग की गई	कुल	5
		निर्यात	10
3.	ब्रांडिंग व्यय 3 वर्ष (2017-18 से 2019-20)	घरेलू + निर्यात	20
4.	भारत में ब्रांड की मान्यता का स्तर, मूल्य वर्धन का स्तर, उत्पादन के लिए रणनीति और योजना, बिक्री, घरेलू और निर्यात बाजारों में उत्पादों के निर्यात और ब्रांडिंग		45
	कुल		**100**
* **अनब्रांडेड खाद्य उत्पादों के बहिष्करण के लिए अपने ब्रांड "ब्रांडेड खाद्य उत्पादों" की बिक्री।**			
आवेदकों को कुल स्कोर के आधार पर रैंक दी जाएगी और चयनित आवेदक की संख्या घटक के लिए परिव्यय के आवंटन के आधार पर होगी ।			

परिशिष्ट-च: बैंक गारंटी

(किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा)

यह विलेख दिनांक ..... पर _____ द्वारा ..... (किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा) जिसका प्रधान कार्यालय/पंजीकृत कार्यालय ..... और अन्य-बातों के साथ साथ एक शाखा कार्यालय में ..... के बीच (इसके बाद में बैंक अथवा गारंटर के रूप में संदर्भित किया जाता है, जो अभिव्यक्ति करेगा, जब तक कि यह संदर्भ के प्रतिकूल या उसके अर्थ हो, इसका मतलब यह समझा जाएगा और उसके उत्तराधिकारी और संपत्ति-भागी शामिल हैं)

के पक्ष में

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार पंचशील भवन, नई दिल्ली-110049 (इसके बाद "एमओएफपीआई" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) प्रस्तुत द्वारा <पीएमए नाम> जिसका मुख्यालय कार्यालय ..... भारत में खाद्य प्रसंस्करण के लिए उत्पादन लिंक्ड (पीएलआई) योजना के अंतर्गत परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) के रूप में कार्य करते हैं।

जबकि

क. [.....],मालिकाना फर्म या पार्टनरशिप फर्म या सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) या कंपनी अधिनियम, 2013 के अर्थ के भीतर एक कंपनी अथवा ---------- ---- के अंतर्गत अर्थ और इसके पंजीकृत कार्यालय [----------] (इसके बाद में 'आवेदक' के रूप में संदर्भित किया जाता है, जो अभिव्यक्ति करेगा, जब तक कि यह संदर्भ के प्रतिकूल या उसके अर्थ हो, इसका मतलब यह समझा जाएगा और उसके उत्तराधिकारी और संपत्ति-भागी शामिल हैं) और दिनांक ---------- के संदर्भ पत्र ---------- के द्वारा उपरोक्त योजना के अंतर्गत अनुमोदन प्रदान किया जाएगा।

ख. दिनांक -------- के वचनपत्र ---------- और दिनांक -------- के दिशानिर्देश संदर्भ संख्या -------- के खंड -------- के सबंध में आवेदक को ---------- रुपए के समतुल्य बैंक गारंटी प्रदान करनी होगी, जिसकी गणना वचनपत्र के अनुरूप की जाती है।

ग. आवेदक के अनुरोध पर, गारंटर इस गारंटी को प्रदान करने के लिए सहमत है, ये प्रस्तुतकर्ता आवेदक अपने दायित्वों द्वारा नियत और समयनिष्ठ निष्पादन/ निर्वहन की गारंटी देते हैं।

इसलिए अब इस विलेख के साक्षी इस प्रकार है

(क) गारंटर इसके द्वारा अटल रूप से उक्त वचनपत्र और अनुमोदन पत्र के अंतर्गत अपने सभी दायित्व के आवेदक द्वारा शर्तों के देय और अनुपालन की गारंटी देता है, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जाता है ।

(ख) गारंटर, बिना किसी संकोच के, एमओएफपीआई /<पीएमए नाम=""> को भुगतान करेगा योग

कुल ---------- (रुपये ----------) में से अधिक को पांच(5) बैंक कार्य दिवसों (भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार) के भीतर, एमओएफपीआई से लिखित मांग प्राप्ति के बाद < पीएमए नाम> यह बताते हुए कि आवेदक उक्त वचनपत्र के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहा है। गारंटर को आवेदक की ओर से किसी भी उल्लंघन या विफलता या एमओएफपीआई/< पीएमए नाम> द्वारा की गई मांग की वैधता की सत्यता में नहीं जाना होगा और आवेदक या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उठाए गए किसी भी विवाद के विपरीत या किसी भी निर्देश के बावजूद मांग में निर्दिष्ट राशि का भुगतान करेगा । गारंटर के दायित्वों के अंतर्गत यह निर्वाहित होगा जब तक कि ऐसी सभी मांगों को विधिवत पूरा नहीं किया जाता और इसके प्रावधानों के अनुसार उनका निर्वहन नहीं किया जाता;

(ग) गारंटर इस बात से सहमत है कि इस गारंटी के अंतर्गत इसकी देयता किसी भी तरह से ऐसी भिन्नता, परिवर्तन, संशोधन, छूट व्यवस्था से प्रभावित नहीं होगी और ऐसी किसी भिन्नता, विवाद, संशोधन, छूट व्यवस्था के साथ या सुरक्षा जारी करने को प्रभावी बनाने के लिए गारंटर की कोई और सहमति अपेक्षित नहीं है;

(घ) यह गारंटी अपरिवर्तनीय होगी और ---------- तक पूर्णता और प्रभावी रहेगी।

(ङ) पर्यन्त और जब तक एमओएफपीआई /<पीएमए नाम> द्वारा पूर्व में ख़ारिज/जारी की गई उक्त वचनपत्र के प्रावधानों के अनुसार कुल मिलाकर गारंटर की देयता ---------- रूपए की राशि तक सीमित रहेगी।

(च) यह गारंटी संविधान में किसी भी परिवर्तन या आवेदक/गारंटर या और अवशोषण, विलय या किसी अन्य व्यक्ति के साथ आवेदक/गारंटर के समामेलन को समाप्त करने से प्रभावित नहीं होगी;

(छ) गारंटर को इस गारंटी को जारी करने और यहां विचार किए गए दायित्वों का निर्वहन करने की शक्ति प्राप्त है, और अधोहस्ताक्षरी इस गारंटी को निष्पादित करने के लिए विधिवत अधिकृत है।

इस गारंटी के संदर्भ में भविष्य के सभी पत्राचार ..... (बैंक का नाम और पता) से किए जाएंगे।

इस गारंटी के संबंध में क्षेत्राधिकार न्यायालय, नई दिल्ली में होगा और भारतीय कानून लागू होगा।

इसके साक्ष्यस्वरुप गारंटर ने पहले पैरा में लिखी तारीख को इस पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं:

बैंक द्वारा ---------- उसके ..... और अधिकृत अधिकारी ---------- द्वारा हस्ताक्षरित और वितरित की गई।

परिशिष्ट-छ: बैंक गारंटी प्रदान करने के लिए प्रारूप

(मुद्रशीर्ष पर आवेदक से घोषणा)

1. हम एतद्द्वारा,....., स्वीकार करते हैं कि भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के अंतर्गत हमें जो प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा, उसके आधार पर हमें और निर्भर करने के बाद, उक्त प्रोत्साहन का लाभ उठाने के लिए हमारे द्वारा प्रदान की गई जानकारी प्रदान की जाएगी ।

2. हम एतद्द्वारा पुष्टि करते हैं कि उक्त प्रोत्साहन का लाभ उठाने के लिए हमारे द्वारा प्रदान की गई सूचना सभी प्रकार से सत्य, सही और पूर्ण है और कोई भौतिक तथ्य/सूचना जो हमारे द्वारा उक्त प्रोत्साहन का लाभ उठाने के लिए प्रदान की गई सूचना पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हो, उसे छुपाया नहीं गया है ।

3. हम एतद्द्वारा पुष्टि करते हैं कि अनुमोदन पत्र के अनुसार परियोजना में प्रतिबद्ध निवेश हमारे द्वारा अनुमोदन पत्र की तारीख से एक निर्दिष्ट अवधि के अंदर किया जाना है ।

4. उपरोक्त लेनदेन के संबंध में, हम निम्नलिखित घोषणा करते हैं:

   क. हम नीचे उल्लिखित राशि के लिए एक अनुसूची वाणिज्यिक बैंक से बैंक गारंटी प्रदान करने की घोषणा करते हैं:

क्र.सं.	**विवरण**	**ब्यौरा**
1.	अनुमोदन पत्र जारी करने की तिथि	
2.	बीजी की वैधता अवधि *	
3.	बीजी की राशि	

   * तीन साल के लिए मान्य या उस तारीख तक जब तक एमओएफपीआई द्वारा ऐसी गारंटी जारी की जाएगी।

ख. हम समझते और सहमत हैं कि, हम कानूनी तौर पर बीजी को समीक्षा/नए बीजी जारी करने के लिए बाध्य है, ऐसा न होने पर एमओएफपीआई/पीएमए बीजी को आह्वान कर सकता है।

ग. नुकसान, विकृति, बल घटना या किसी अन्य घटना के मामले में, मूल बीजी (एमओएफपीआई/पीएमए में आयोजित का पक्ष) लेने के संबंध में, इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा और मूल बीजी के स्थान पर वैकल्पिक/डुप्लीकेट बीजी की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी हमारे पास होगी ।

घ. हम यह भी समझते हैं कि दिशानिर्देशों में प्रावधान के अनुसार आमंत्रित किए जाएंगे अथवा जारी किए जाएंगे ।

दिनांक *हस्ताक्षर*

(पते के साथ नाम और पदनाम) निदेशक/सीईओ/एमडी

संलग्नक-1 क: श्रेणी I आवेदकों के लिए आवेदन पत्र

1. **निर्देश**:
   1.1. आवेदक आवेदन में विवरण भरने से पहले सावधानीपूर्वक दिशा-निर्देशों को पढ़ें।
   1.2. आवेदन पर आवेदक के विधिवत अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।
   1.3. आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने आवेदन जमा करने के लिए इस आवेदन पत्र में दिए गए प्रारूप का पालन करें । आवेदकों को जानकारी प्रदान करने और विस्तृत रूप में सभी सहायक दस्तावेजों को संलग्न करने की आवश्यकता होती है।
   1.4. सभी आवेदन योजना के अंतर्गत चयनित परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) को ऑनलाइन जमा किए जाएंगे।
   1.5. आवेदक बिना किसी प्रतिबंध, सीमा या राइडर के बिना शर्त आवेदन प्रस्तुत करेगा।
   1.6. आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन योजना दिशानिर्देशों और संबंधित अधिसूचनाओं के प्रावधान के अधीन होगा।
   1.7. आवेदन को निम्नलिखित अनुभागों में विभाजित किया गया है

      i. आवेदक विवरण
      ii. प्रस्ताव
      iii. आवेदन शुल्क विवरण

2. **खंड 1 - आवेदक विवरण**

   2.1. आवेदक का नाम
   2.2. व्यवसाय का गठन - मालिकाना फर्म या पार्टनरशिप फर्म या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (एलएलपी) या भारत में पंजीकृत कंपनी या सहकारी समिति
   2.3. व्यावसायिक विवरण: पता, फोन नं., ईमेल, पैन, वर्तमान व्यवसाय की प्रकृति, टर्नओवर, निवल संपत्ति, अनुभव आदि।
   2.4. प्रमोटर, अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अन्य सीएक्सओ स्तर के अधिकारियों की संक्षिप्त प्रोफ़ाइल, जैसी भी स्थिति हो।.
   2.5. *प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज:*
      i. ज्ञापन और एसोसिएशन या समकक्ष पंजीकरण दस्तावेज, भागीदारी विलेख और किसी भी समकक्ष दस्तावेज के लेख की प्रतिलिपि । शेयरहोल्डिंग पैटर्न, भागीदारों का हिस्सा जैसी भी स्थिति हो।
      ii. वार्षिक वित्तीय रिपोर्टों सहित वार्षिक रिपोर्टों की स्व-प्रमाणित प्रतियां, कार्यक्रम, लेखा परीक्षा और पूर्ण बैलेंस शीट के साथ, जैसी भी स्थिति 3 वर्ष के लिए हो। हाल ही में रिपोर्ट उपलब्ध कराई जानी है ।
      iii. टैक्स से पहले लाभ (पीबीटी) और टैक्स के बाद लाभ (पीएटी) - (पिछले 3 साल)

iv. आवेदक के लिए पैन, जीएसटी प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित प्रतियां,

v. अध्यक्ष, सीईओ, सीएक्सओ, प्रमोटर और प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों के संक्षिप्त प्रोफ़ाइल की स्व-प्रमाणित प्रतियां उनके पैन/ (डी आई एन) के साथ

vi. प्रमुख कार्मिक विवरण: आवेदक के तीन वरिष्ठ कर्मचारियों के संपर्क विवरण। विवरण में नाम, पदनाम, पता, फोन, ईमेल शामिल होंगे।

2.6. ऋण वृतान्त:

i. आरबीआई के डिफॉल्टर और विलफुल डिफॉल्टर सूचियों, सेबी डिबार्ड लिस्ट और सीआईबीआईएल स्कोर में उपस्थिति का विवरण दें.

ii. बाहरी क्रेडिट रेटिंग (वर्ष, एजेंसी, रेटिंग असाइन) (यदि लागू हो)

3. खंड द्वितीय - प्रस्ताव

3.1. परियोजना विवरण

3.2. सभी खाद्य उत्पादों की निबल बिक्री:

i. कुल बिक्री (घरेल+निर्यात) (करोड़ रुपए)

ii. निर्यात (करोड़ रुपए)

3.3. पात्र उत्पाद खंड के लिए आवेदन किया:

3.4. उत्पादों को 3.3 के तरह उत्पाद खंड से बाहर कवर करने का प्रस्ताव किया। (खाद्य उत्पादों की व्यापक श्रेणी, खंड-वार, तालिका **परिशिष्ट:ख** में दी गई है)

3.5. 2014-15 से 2018-19 के लिए बिक्री ((घरेल+निर्यात) उत्पाद समूह-वार **(परिशिष्ट-ख)**:

	उत्पाद	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1.						
2.						
3.						
4.						
...						
	कुल					

3.6. 2019-20 (वास्तविक), 2020-21 (अनु.), 2021-22 से 2026-27 (प्रक्षेपित) के लिए खाद्य उत्पादों की घरेलू और निर्यात बिक्री **(परिशिष्ट-ख):**

घरेलू बिक्री								**(करोड़ रुपए)**	
	उत्पाद	2019-	2020-	2021-	2022-	2023-	2024-	2025-	2026-

	समूह	20	21	22	23	24	25	26	27
1.									
2.									
3.									
4.									
...									
	कुल								
निर्यात बिक्री								**(करोड़ रुपए)**	
1.									
2.									
3.									
4.									
....									
	कुल								

3.7. सांविधिक लेखा परीक्षक या स्वतंत्र चार्टर्ड एकाउंटेंट से प्रमाण पत्र, जो भी लागू हो, खाद्य उत्पादों की निबल बिक्री/निर्यात (3.5 और 3.6 में दिया गया) पर 2019-20 के लिए ।

3.8. आवेदक की विनिर्माण सुविधा पृथक रूप से:

पता:

उत्पाद:

क्षमता:

3.9. अनुबंध निर्माता की विनिर्माण सुविधा पृथक रूप से:

पता:

उत्पाद

क्षमता

3.10. प्रतिबद्ध निवेश (विनिर्माण) फैक्ट्री-वार (करोड़ रुपए में)

I. □□□□□	□□□□□□□	□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□	□□□□□□□ □□□□□□□□□	□□□ (□□□□□ □□□□)
□□□□□□□□ 1/ 2/3....				
2020-21				
2021-22				
2022-23				
□□ □□□ (□□□□□)				
II. □□□□□□				

□□□□□□□□□□[1]				
2020-21				
2021-22				
2022-23				
□□ □□□ (सीएम)				
□□□ (I+II)				

3.11. प्रतिबद्ध निवेश (ब्रांडिंग और मार्केटिंग):

3.11.1 सभी खाद्य उत्पादों हेतु ब्रांडिंड और मार्केटिंग व्यय: 2014-15 से 2018-19

I. □□□□□ □□□□□					□□□□□ □□□□
	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1.					
2.					
3.					
4.					
...					
II. □□□□□□□ □□□□□					□□□□□ □□□□
1.					
2.					
3.					
4.					
...					

[2]उन करार निर्माताओं के लिए निवेश (फैक्ट्री-वार) शामिल करें जो आवेदन को 100% उत्पाद आपूर्ति करते हैं ।

[3]इन स्टेट ब्रांडिंग, शेल्फ स्पेस रेटिंग और अन्य निर्दिष्ट से संबंधित है ।

3.11.2. 2019-20, 2020-21 के लिए विदेशों में ब्रांडिंग और विपणन पर व्यय और 2021-22 से 2025-26 के लिए प्रस्तावित । व्यापक श्रेणियों के संदर्भ में व्यय का ब्रेकअप सांकेतिक है ।

				(□□□□□ □□□□)
	□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□	□□□□□ □□□□□ □□□□□□	□□□□ (□□□□□□□□□□□□)	□□□
2019-20				

[1] □□□□□ □□□□□ (□□□□□□□□–□□□) □□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□ □□□ □□ □□ □□□□□ □□ □□□□ 100% आउटपुट की आपूर्ति करते हैं ।

2020-21				
2021-22				
2022-23				
2023-24				
2024-25				
2025-26				
□□□ **(2021-22 □□ 2026-27 □□)**				

3.12. रोजगार का अनुमान सृजित किया:

संचयी रोजगार सृजित (**परिशिष्ट –ख** में कवर किए गए उत्पादों के कारण)	
□□□□	□□□□□□
2020-21 (अनुमानित)	
2021-22	
2022-23	
2023-24	
2024-25	
2025-26	
2026-27	

3.13. पात्र उत्पाद के लिए कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआईपी): आवेदक को निम्नलिखित को इंगित करने वाली योजना प्रस्तुत करनी होती है:

i. आवेदन और अतिरिक्त निवेश में प्रस्तावित बिक्री को प्राप्त करने के लिए व्यापक योजना जो उस बिक्री को प्राप्त करने और योजना के लिए आवश्यक होगी ।
ii. विनिर्माण क्षमता: मौजूदा क्षमता का उपयोग, स्थान-वार नई क्षमता का निर्माण और उत्पादों का आउटपुट
iii. विनिर्माण में इस्तेमाल की जाने वाली नई तकनीक
iv. सहायक कंपनियों/संविदा निर्माताओं/सदस्य संख्या

3.14. नियामक उपचार: परियोजना को निष्पादित करने के लिए आवश्यक लाइसेंस, परमिट और तीसरे पक्ष की मंजूरी के बारे में जानकारी प्रदान करें

4. खंड III -आवेदन शुल्क विवरण

4.1 आवेदन शुल्क जमा करने का प्रमाण.

दिनांक *हस्ताक्षर*

(पते के साथ नाम और पदनाम) निदेशक/सीईओ/एमडी

संलग्नक-1ख: श्रेणी द्वितीय आवेदकों के लिए आवेदन पत्र

1. **निर्देश**:
   1.1. आवेदक आवेदन में विवरण भरने से पहले सावधानीपूर्वक दिशा-निर्देशों को पढ़ें।
   1.2. आवेदन पर आवेदक के विधिवत अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

1.3. आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने आवेदन जमा करने के लिए इस आवेदन पत्र में दिए गए प्रारूप का पालन करें । आवेदकों को जानकारी प्रदान करने और विस्तृत रूप में सभी सहायक दस्तावेजों को संलग्न करने की आवश्यकता होती है।

1.4. सभी आवेदन योजना के अंतर्गत चयनित परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) को ऑनलाइन जमा किए जाएंगे।

1.5. आवेदक बिना किसी प्रतिबंध, सीमा या राइडर के बिना शर्त आवेदन प्रस्तुत करेगा।

1.6. आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन योजना दिशानिर्देशों और संबंधित अधिसूचनाओं के प्रावधान के अधीन होगा।

1.7. आवेदन को निम्नलिखित अनुभागों में विभाजित किया गया है

i. आवेदक विवरण
ii. प्रस्ताव
iii. आवेदन शुल्क विवरण

2. खंड 1 - आवेदक विवरण

2.1. आवेदक का नाम

2.2. व्यापार का गठन - उदयम पंजीकृत एसएमई, मलकीत फर्म या पार्टनरशिप फर्म या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (एलएलपी) या भारत में पंजीकृत कंपनी या सहकारी समिति

2.3. व्यावसायिक विवरण: पता, फोन नं., ईमेल, पैन, वर्तमान व्यवसाय की प्रकृति, टर्नओवर, निवल संपत्ति, अनुभव आदि।

2.4. *प्रमोटर, अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अन्य सीएक्सओ स्तर के अधिकारियों की संक्षिप्त प्रोफ़ाइल, जैसी भी स्थिति हो ।*

2.5. *प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज:*

i. ज्ञापन और एसोसिएशन या समकक्ष पंजीकरण दस्तावेज, भागीदारी विलेख और किसी भी समकक्ष दस्तावेज के लेख की प्रतिलिपि । शेयरहोल्डिंग पैटर्न, भागीदारों का हिस्सा जैसी भी स्थिति हो।

ii. उदयमी पंजीकरण की स्व-प्रमाणित प्रतियां, वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट सहित वार्षिक रिपोर्ट कार्यक्रम, लेखा परीक्षा और पूर्ण बैलेंस शीट के साथ, जैसी भी स्थिति 3 वर्ष के लिए हो । हाल ही में रिपोर्ट उपलब्ध कराई जानी है ।

iii. टैक्स से पहले लाभ (पीबीटी) और टैक्स के बाद लाभ (पीएटी) - (गत 3 वर्ष)

iv. आवेदक के लिए पैन, जीएसटी प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित प्रतियां,

v. अध्यक्ष, सीईओ, सीएक्सओ, प्रमोटर और प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों के संक्षिप्त प्रोफ़ाइल की स्व-प्रमाणित प्रतियां उनके पैन/डीआईएन के साथ

vi. प्रमुख कार्मिक विवरण: आवेदक के तीन वरिष्ठ कर्मचारियों के संपर्क विवरण। विवरण में नाम, पदनाम, पता, फोन, ईमेल शामिल होंगे.

2.6. **ऋण वृतान्त**:

i. आरबीआई के डिफॉल्टर और विलफुल डिफॉल्टर सूचियों, सेबी डिबार्ड लिस्ट और सिबिल स्कोर में उपस्थिति का विवरण दें।

ii. बाहरी क्रेडिट रेटिंग (वर्ष, एजेंसी, रेटिंग असाइन) (यदि लागू हो)

3. खंड द्वितीय - प्रस्ताव

3.1. उत्पाद विवरण: इंगित करें

i. अभिनव उत्पाद: उत्पाद के नाम/कैसे अभिनव उत्पाद, उत्पाद की विशिष्टता, प्राप्त पेटेंट और विनिर्माण प्रक्रिया है,

ii. जैविक उत्पाद का नाम, जैविक उत्पादों और विवरणों के लिए प्रमाणन का प्रकार (जैविक उत्पाद के लिए प्रमाणन या तो एपीडा या इसी तरह की मान्यता प्राप्त प्रमाणन एजेंसी से होना चाहिए, सहकर्मी समूह प्रमाणन नहीं)

4.2 वर्ष 2014-15 से 2018-19 हेतु उत्पादों की बिक्री मांग को बढ़ावा देने; उत्पाद-वार (जैसा कि 3.1 में दिया गया है):

						(□□□□□ □□□□)
	□□□□□□□□□ □□ □□□	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1.						
2.						
3.						
4.						
...						
	□□□					

4.3 वर्ष 2019-20 (वास्तविक), 2020-21 (अनु), 2021-22 से 2026-27 (प्रक्षेपित) हेतु खाद्य उत्पादों की बिक्री और निर्यात (जैसाकि 3.4 में दिया गया है:

□□□□□ □□□□□□									(□□□□□ □□□□)
	□□□□□□ □□□□	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27
1.									
2.									
3.									
4.									
...									
	□□□								

□□□□□□□ □□□□□□ **(करोड़ रुपए)**									
1.									
2.									
3.									
4.									
....									
	□□□								

3.2. सांविधिक लेखा परीक्षक या स्वतंत्र चार्टर्ड एकाउंटेंट से प्रमाण पत्र, जो भी लागू हो, खाद्य उत्पादों की निबल बिक्री/निर्यात (3.5 में दिया गया) पर 2019-20 के लिए ।

3.3. वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 में दिए गए निवेश

	□□ □□□ □□	□□□□□□ □□□□□ □□□□□	□□□□□□ □□□□□□□□□	□□□ (□□□□□ □□□□)
□□□□□□□□ 1/ 2/3....				
2017-18				
2018-19				
2019-20				
□□□				

3.4. आवेदक की विनिर्माण सुविधा:

पता:
उत्पादों:
क्षमता:

3.5 विनिर्माण और ब्रांडिंग और विपणन के लिए प्रस्तावित निवेश (करोड़ रुपये):

	□□ □□□ □□	□□□□□□ □□□□□ □□□□□	□□□□□□ □□□□□□□□□	□□□ (□□□□□ □□□□)
□□□□□□□□ 1/ 2/3....				
2020-21				
2021-22				
2022-23				
□□ □□□ (आवेदक)				

3.6 निवेश के लिए निधि की उपलब्धता निवेश श्रेणीवार (स्वयं निधि, ऋण, निजी इक्विटी से बंधे, वेंचर कैपिटल, एंजेल निवेशकों अन्य आदि से बंधे) के लिए 3.4 में दर्शाया गया ।

3.7 सांविधिक लेखा परीक्षक या स्वतंत्र चार्टर्ड एकाउंटेंट से प्रमाण-पत्र, जो भी लागू हो निवेश पर किया और निधि 3.3 और 3.6 पर संदर्भित किया गया ।

3.8 बिक्री, निर्यात और रोजगार सृजन के प्रक्षेपित (स्व-प्रमाणित):

अभिनव/जैविक उत्पादों की कुल निबल बिक्री और निर्यात		
वर्ष	कुल निबल बिक्री (करोड़ रुपये)	निर्यात (करोड़ रुपये)
2019-20 (आधार वर्ष)		
2021-22		
2022-23		
2023-24		
2024-25		
2025-26		
2026-27		
कुल		
संचयी रोजगार सृजित		
वर्ष	प्रत्यक्ष (संख्या)	अप्रत्यक्ष (संख्या)
2021-22		
2022-23		
2023-24		
2024-25		
2025-26		
2026-27		

3.9 पात्र उत्पाद के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट/कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) आवेदक **तालिका- को संलग्नक 1ख** में दर्शाई गई जानकारी वाली डीपीआर/पीआईपी प्रस्तुत करना होता है ।

4. खंड 3: आवेदन शुल्क विवरण

4.1. आवेदन शुल्क जमा करने का प्रमाण

दिनांक *हस्ताक्षर*

(पते के साथ नाम और पदनाम) निदेशक/सीईओ/एमडी

तालिका-संलग्नक 1ख
कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआईपी)

1. प्रस्तावित अभिनव/जैविक खाद्य उत्पाद की प्रोफ़ाइल (जैसी भी स्थिति हो।)

1.1. उत्पाद की प्रकृति**:** अद्भुतता

1.2. उत्पाद विकास का चरण: पेटेंट यदि कोई हो

1.3. जैविक उत्पाद: प्रमाणन विवरण और वर्ष

1.4. बाजार विकास

1.5. वैश्विक परिदृश्य

1.6. भारतीय परिदृश्य

2. वर्तमान स्थिति:

2.1. निवेश

2.2. विनिर्माण,

2.3. ब्रांडिंग एवं विपणन

2.4. बिक्री

2.5. निर्यात

2.6. लाभप्रदता

2.7. स्केलेबिलिटी के लिए क्षमता

2.8. बिजनेस प्लान और टाई-अप

2.9. एमओएफपीआई के अलावा अन्य स्रोतों से सहायता

3. परियोजना

3.1. परियोजना घटक

3.2. भूमि और स्थान

3.3. स्थानिक लाभ

3.4. बैकर्ड एवं फारवर्ड लिंकेज

4. प्लांट और मशीनरी

4.1. उत्पादन प्रक्रिया

4.2. बिजनेस मॉडल एंड मार्केटिंग

4.3. राजस्व अनुमानों का आधार

4.4. राजस्व स्ट्रीम्स

4.5. मार्केटिंग

5. प्रचालन प्रबंधन
    5.1. संगठनात्मक संरचना
6. कार्यान्वयन अनुसूची
    6.1. साइट विकास और बुनियादी सक्षम
    6.2. तकनीकी बिल्डिंग और सिविल कार्य
    6.3. वित्त स्रोत
7. लाभप्रदेयता अनुमान
8. विनियामक व्यवहार
    8.1. परियोजना को निष्पादित करने के लिए आवश्यक लाइसेंस, परमिट और तीसरे पक्ष की मंजूरी के बारे में जानकारी
    8.2. मंजूरी प्राप्त करने के लिए समयसीमा
9. सरकारी सहायता से चैंपियन बनने की गुंजाइश

संलग्नक-1ग: श्रेणी III आवेदकों के लिए आवेदन पत्र

1. **निर्देश:**

1.1. आवेदक आवेदन में विवरण भरने से पहले सावधानीपूर्वक दिशा-निर्देशों को पढ़ें।

1.2. आवेदन पर आवेदक के विधिवत अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

1.3. आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने आवेदन जमा करने के लिए इस आवेदन पत्र में दिए गए प्रारूप का पालन करें । आवेदकों को जानकारी प्रदान करने और विस्तृत रूप में सभी सहायक दस्तावेजों को संलग्न करने की आवश्यकता होती है।

1.4. सभी आवेदन योजना के अंतर्गत चयनित परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) को ऑनलाइन जमा किए जाएंगे।

1.5. आवेदक बिना किसी प्रतिबंध, सीमा या राइडर के बिना शर्त आवेदन प्रस्तुत करेगा।

1.6. आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन योजना दिशानिर्देशों और संबंधित अधिसूचनाओं के प्रावधान के अधीन होगा।

1.7आवेदन को निम्नलिखित अनुभागों में विभाजित किया गया है:

i. आवेदक विवरण
ii. प्रस्ताव
iii. आवेदन शुल्क विवरण

2. **खंड 1 - आवेदक विवरण**

2.1. आवेदक का नाम

2.2. व्यापार का गठन –मालिकाना हक फर्म या पार्टनरशिप फर्म या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (एलएलपी) या भारत में पंजीकृत कंपनी या सहकारी समिति, या एसएमई

2.3. व्यावसायिक विवरण: पता, फोन नं., ईमेल, पैन, वर्तमान व्यवसाय की प्रकृति, टर्नओवर, निवल संपत्ति, अनुभव आदि।

2.4. प्रमोटर, अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अन्य सीएक्सओ स्तर के अधिकारियों की संक्षिप्त प्रोफ़ाइल, जैसी भी स्थिति हो।।

2.5. प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज:

i. ज्ञापन और एसोसिएशन या समकक्ष पंजीकरण दस्तावेज, भागीदारी विलेख और किसी भी समकक्ष दस्तावेज के लेख की प्रतिलिपि । शेयरहोल्डिंग पैटर्न, भागीदारों का हिस्सा जैसी भी स्थिति हो।।

ii. वार्षिक वित्तीय रिपोर्टों सहित वार्षिक रिपोर्टों की स्व-प्रमाणित प्रतियां, कार्यक्रम, लेखा परीक्षा और पूर्ण बैलेंस शीट के साथ, जैसी भी स्थिति 3 वर्ष के लिए हो । हाल ही में रिपोर्ट उपलब्ध कराई जानी है ।

iii. टैक्स से पहले लाभ (पीबीटी) और टैक्स के बाद लाभ (पीएटी) - (पिछले 3 साल)

iv. पैन की स्व-प्रमाणित प्रतियां, आवेदक के लिए जीएसटी प्रमाण पत्र, उदयमी पंजीकरण पैन की स्व-प्रमाणित प्रतियां, आवेदक के लिए जीएसटी प्रमाण पत्र, उदयमी पंजीकरण

v. अध्यक्ष, सीईओ, सीएक्सओ, प्रमोटर और प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों के संक्षिप्त प्रोफ़ाइल की स्व-प्रमाणित प्रतियां उनके पैन/डीआईएन के साथ

vi. प्रमुख कार्मिक विवरण: आवेदक के तीन वरिष्ठ कर्मचारियों के संपर्क विवरण। विवरण में नाम, पदनाम, पता, फोन, ईमेल शामिल होंगे

2.6. **ऋण वृतान्त**:

i. आरबीआई के डिफॉल्टर और विलफुल डिफॉल्टर सूचियों, सेबी डिबार्ड लिस्ट और सिबिल स्कोर में उपस्थिति का विवरण दें।

ii. बाहरी क्रेडिट रेटिंग (वर्ष**,** एजेंसी**,** रेटिंग असाइन) (यदि लागू हो)

3. खंड द्वितीय - प्रस्ताव

3.1. परियोजना विवरण:

3.2. प्रोत्साहित किए जाने वाले ब्रांड: विवरण दिया गया

3.3. वर्ष 2014-15 से 2021-22 हेतु आवेदक के सभी खाद्य उत्पादों की बिक्री:

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 (अनु)
घरेलू बिक्री (करोड़ रुपए)							
निर्यात बिक्री (करोड़ रुपए)							

3.4 घरेलू बाजार और विदेश में वर्ष 2017-18 से 2019-20 (वास्तविक), 2020-21 (अनु) के लिए ब्रांडिंग पर व्यय:

वर्ष	घरेलू (करोड़ रुपए)	विदेश (करोड़ रुपए)
2016-17		
2017-18		
2018-19		
2019-20		
2020-21		

3.5 वर्ष 2021-22 से 2025-26 (प्रस्तावित) के लिए ब्रांडिंग पर व्यय सांकेतिक ब्रेकअप के साथ (स्टोर ब्रांडिंग, शेल्फ स्पेस किराए पर लेना और अन्य):

वर्ष	घरेलू (करोड़ रुपए)	विदेश (करोड़ रुपए)
2021-22		
इन स्टोर ब्रांडिंग		
शेल्फ स्पेस किराए पर		
अन्य (निर्दिष्ट)		
2022-23		
इन स्टोर ब्रांडिंग		
शेल्फ स्पेस किराए पर		
अन्य (निर्दिष्ट)		
2023-24		
इन स्टोर ब्रांडिंग		
शेल्फ स्पेस किराए पर		
अन्य (निर्दिष्ट)		
2024-25		
इन स्टोर ब्रांडिंग		
शेल्फ स्पेस किराए पर		
अन्य (निर्दिष्ट)		
2025-26		
इन स्टोर ब्रांडिंग		
शेल्फ स्पेस किराए पर		
अन्य (निर्दिष्ट)		
कुल (2021-22 से 2025-26 तक)		

3.6 2014-15 2021-22 में ब्रांड के उत्पाद की बिक्री को प्रोत्साहन देने की मांग

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2021-22 (अनु)
घरेलू निर्यात (करोड़ रुपए)							
निर्यात बिक्री (करोड़ रुपए)							

3.4 ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआईपी): आवेदक द्वारा निम्नलिखित दर्शाते हुए एक योजना अपेक्षित है ।

i. आवेदक द्वारा धारित ब्रांड और भारत मान्यता का स्तर
ii. निर्यात बाजारों में प्रदर्शन का स्वॉट विश्लेषण
iii. निर्यात मार्केट में ब्रांडिंग घोषणा के लिए अंतर विश्लेषण और व्यापक योजना: बाजार की उपस्थिति और पैठ को मजबूत बनाना
iv. रणनीति और योजना उत्पादन, बिक्री, उत्पादों के निर्यात को ब्रांडिंग के माध्यम से प्रोत्साहन देने की मांग की
v. ब्रांड को मजबूत करने के लिए रणनीति और योजना
vi. विभिन्न निर्यात बाजारों से ब्रांड वार, राजस्व
vii. ब्रांड प्रमोशन के लिए ग्लोबल मार्केट में सब्सिडी प्राप्त कंपनी अथवा सहायक कंपनी और उनके समर्थन
viii. ब्रांडिंग और मार्केटिंग के विभिन्न घटक
ix. आवेदन में प्रस्तावित बिक्री को प्राप्त करने के लिए रणनीति
x. विनिर्माण क्षमता: मौजूदा क्षमता का उपयोग, विभिन्न स्थानों पर नई क्षमता का निर्माण
xi. अनुबंध निर्माताओं के साथ प्रबंधन
xii. ब्रांड संवर्धन और विपणन के लिए प्रस्तावित व्यय तालिका **संलग्नक । ग** में प्रस्तुत किया जाएगा:

4. खंड III – आवेदन शुल्क विवरण

4.1 आवेदन शुल्क जमा करने का प्रमाण

दिनांक हस्ताक्षर

(पते के साथ नाम और पदनाम) निदेशक/सीईओ/एमडी

संलग्नक -2: <u>पीएमए द्वारा आवेदन के प्रारंभिक मूल्यांकन के लिए परीक्षण सूची</u>

क्र.स	मानदंड	आवेदक के अनुसार डेटा	पीएमए की टिप्पणियां
1.	आवेदक का नाम		
2.	आवेदन जमा करने की तिथि		
3.	जमा करने के लिए नियत तिथि		
4.	निर्धारित आवेदन शुल्क जमा करना		
5.	खाद्य उत्पादों की समग्र बिक्री के संदर्भ में पात्रता		
6.	उत्पाद खंड/खाद्य उत्पादों का कवरेज जिसे निर्मित किया जाएगा।		
7.	एसएमई के लिए अभिनव/जैविक उत्पाद		
8.	पात्र उत्पाद खंड (i) घरेलू बाजार (ii) निर्यात बाजार में खाद्य उत्पादों की बिक्री		
9.	प्रतिबद्ध निवेश (करोड़ रुपये) (i) विनिर्माण (ii) ब्रांडिंग और मार्केटिंग		
10.	ब्रांडिंग पर खर्च (i) घरेलू बाजार (ii) निर्यात बाजार		

दिनांक *हस्ताक्षर*

<u>(पीएमए के अधिकारी का नाम और पदनाम)</u>

संलग्नक-3: <u>पीएमए द्वारा आवेदन के मूल्यांकन के लिए चेकलिस्ट</u>

(लागू प्रत्येक उत्पाद खंड के लिए अलग परीक्षण सूचीभरें)

क्र.सं.	मानदंड	पीएमए की टिप्पणियां
1.	आवेदक का नाम	
2.	प्रमुख व्यक्ति का विवरण (प्रथम) व्यक्ति का नाम व्यक्ति का पदनाम आवेदक का पूरा पता आवेदक का संपर्क विवरण पीएच नं. मोबाइल नं. ईमेल	
	प्रमुख व्यक्ति का विवरण (द्वितीय) व्यक्ति का नाम व्यक्ति का पदनाम आवेदक का पूरा पता आवेदक का संपर्क विवरण पीएच नं. मोबाइल नं. ईमेल	
	प्रमुख व्यक्ति का विवरण (तृतीय) व्यक्ति का नाम व्यक्ति का पदनाम आवेदक का पूरा पता आवेदक का संपर्क विवरण पीएच नं.	

क्र.सं.	मानदंड	पीएमए की टिप्पणियां
	मोबाइल नं. ईमेल	
3.	संगठन का प्रकार (लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपी, सूचीबद्ध, आदि)	
4.	संगठन का पंजीकरण विवरण	
5.	प्रमोटरों का विवरण, यदि कोई हो	
6.	आवेदक/प्रवर्तकों के खिलाफ लंबित कानूनी या वित्तीय मामलों की कोई जानकारी	
7.	आवेदन जमा करने की तिथि	
8.	जमा करने के लिए नियत तिथि	
9.	आवेदन स्वीकृत तिथि	
10.	खाद्य उत्पादों की बिक्री के मामले में पात्रता	
11.	आधार वर्ष के लिए आवेदन किए गए खंड में खाद्य उत्पादों की निबल बिक्री (करोड़ रुपये)	
12.	लागू किए गए खंड में खाद्य उत्पादों के आधार वर्ष का निर्यात (करोड़ रुपये)	
13.	प्रतिबद्ध निवेश (करोड़ रुपए) (i) विनिर्माण (ii) ब्रांडिंग और मार्केटिंग	
14.	प्रस्तावित प्लांट उत्पादन क्षमता (प्रति वर्ष)	
15.	वाणिज्यिक उत्पादन की प्रस्तावित तिथि	
16.	प्रस्तावित प्रोत्साहन दावा (सालाना और कुल योजना के लिए)	
17.	पात्र उत्पाद के लिए प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या	
18.	निवेश विवरण (करोड़ रुपए)(पूर्ण बैकअप प्रदान करें)	
19.	I. आवेदक द्वारा	

क्र.सं.	मानदंड	पीएमए की टिप्पणियां
	i. तकनीकी और सिविल कार्य ii. नया प्लांट और मशीनरी iii. विस्तार और आधुनिकीकरण	
20.	II. अनुबंध निर्माताओं द्वारा4 (i) तकनीकी और सिविल कार्य (ii) नया प्लांट और मशीनरी (iii) विस्तार और आधुनिकीकरण	
21.	परियोजना की समय सारणी	
22.	सभी घोषणओं को उपयुक्त प्रारूप में प्रस्तुत करना	
	(क) **संलग्नक-7** के अनुसार प्रारूप में आवेदन के साथ प्रस्तुत सूचना/आंकड़ों के सत्यापन के लिए उनकी विनिर्माण स्थल/कार्यालयों के ऑडिट के लिए सहमति	

पीएमए को निम्नलिखित क्षेत्रों पर विस्तृत विवरण देना चाहिए

क्र.स	विचार क्षेत्र
1.	पात्र उत्पाद खंड पर विचार
2.	पात्र उत्पाद के लिए प्राप्त कुल आवेदन की संख्या
3.	विचार का औचित्य
4.	आवेदन को अस्वीकार करने के कारण, यदि कोई हो

4 आवेदक के लिए प्रासंगिक सूचना पृथक रूप से और कुल मिलाकर निविदा निर्माताओं के लिए दी जानी चाहिए।

दिनांक *हस्ताक्षर*

पीएमए के अधिकारी का नाम और पदनाम

संलग्नक-4: संवितरण दावा प्रपत्र

खाद्य उत्पादों के घरेलू विनिर्माण के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआई)

1. आवेदक का नाम
2. आवेदन स्वीकृत तिथि
3. संदर्भ नंबर और अनुमोदन पत्र की तिथि
4. संयंत्र-वार प्रतिबद्ध निवेश में प्रगति
5. अनुमोदित उत्पादों की बिक्री (अनुमोदन पत्र के अनुसार उत्पाद)
6. वह अवधि जिसके लिए प्रोत्साहन की मांग की जा रही है
7. **विदेशों में बिक्री, निवेश और ब्रांडिंग और विपणन के बारे में जानकारी:**

किसी विशेष वर्ष के लिए प्रोत्साहनों के दावे में गत सभी वर्षों के लिए जानकारी और लागू आधार वर्ष के लिए भी जानकारी होगी)

बिक्री			
क्र.सं.	खाद्य उत्पाद का नाम (रेफरेंस अनुमोदन पत्र)	एचएस कोड*	बिक्री (करोड़ रुपए)
घरेलू बिक्री			
1.			
2.			
.....			
कुल घरेलू बिक्री			
निर्यात बिक्री			
1.			
2.			

.....			
निर्यात बिक्री			
आवेदन पत्र के अटैचमेंट के रूप में यदि आवश्यक हो तो अलग शीट में विवरण प्रस्तुत करें *जीएसटी चालान या शिपिंग बिलों में दी गई जानकारी के अनुसार			

प्रतिबद्ध निवेश:			
वर्ष	विवरण (पी एंड एम, तकनीकी और सिविल कार्य, एसोसिएटेड अवसंरचना अलग से) राशि (करोड़ रुपए)		
	आवेदक द्वारा	अनुबंध निर्माताओं द्वारा	कुल
2020-21			
2021-22			
2022-23			
कुल			

विदेशों में ब्रांडिंग और मार्केटिंग में निवेश		
वर्ष	विवरण (स्टोर ब्रांडिंग, शेल्फ स्पेस रेन्टिंग और विपणन के लिए ब्रेक-अप के साथ प्रमुख बाजार	राशि (करोड़ रुपए)
2019-20 (आधार वर्ष)		
2021-22		
2022-23		
2023-24		
2024-25		
2025-26		
कुल		

8. निम्नलिखित को इंगित/कवर करने वाले प्रमाण पत्र/घोषणा: पात्र उत्पाद खंड में विचलन और बी एंड एम पर व्यय नहीं।

9. सांविधिक लेखा परीक्षक या स्वतंत्र चार्टर्ड एकाउंटेंट से प्रमाण पत्र, जो भी लागू हो, बताते/कवर करते है:

i) वाणिज्यिक उत्पादन से पहले लागू प्रतिबद्ध निवेश हासिल कर लिया गया है

ii) आवेदक के खातों की पुस्तकों में निवेश का पूंजीकरण आईसीएआई द्वारा जारी प्रासंगिक लेखा मानकों के अनुरूप है

iii) निवेश योजना दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है

10. चार्टर्ड इंजीनियर से दस्तावेज/प्रमाण पत्र:

i) प्रमाण पत्र में कहा गया है कि प्लांट, मशीनरी और उपकरण स्थापित किए गए हैं, बाजार मूल्य के अनुसार मूल्य उचित है और इसका उपयोग अनुमोदित पात्र उत्पाद के निर्माण के लिए किया जा रहा है ।

ii) स्थापित क्षमता पर प्रमाण पत्र

11. दावे की मंजूरी के बाद प्रस्तुत की जाने वाली दस्तावेजों की सूची

i) **संलग्नक 7** में दिए गए प्रारूप के अनुसार आवेदक से एक घोषणा।

ii) आवेदक से **संलग्नक 5** के अनुसार निर्धारित प्रारूपों पर एक समझौता/क्षतिपूर्ति बॉन्ड कि यदि बाद के चरण में उसका दावा झूठा या अत्यधिक पाया जाता है तो यह संवितरण की तारीख पर प्रचलित एसबीआई एमसीएलआर में गणना की गई ब्याज के साथ वितरित राशि को वापस करने के लिए उत्तरदायी होगा, जो सालाना जटिल है ।

iii) इस आशय के लिए बोर्ड का संकल्प है कि आवेदक प्रोत्साहन राशि हासिल करते समय पीएलआई योजना और दिशा-निर्देशों में निर्धारित नियमों और शर्तों से सहमत है ।

दिनांक *हस्ताक्षर*

(पते के साथ नाम और पदनाम)निदेशक/सीईओ/एमडी

संलग्नक-5: घोषणा का प्रारूप

(मुद्र शीर्ष पर आवेदक से वचन-पत्र)

1. हम एतद्द्वारा यह स्वीकार करते हैं कि अनुमोदित खाद्य उत्पादों के घरेलू विनिर्माण के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) के अंतर्गत हमें जो प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे, उनके आधार पर हमें प्रदान की जाएगी और इस पर भरोसा करने के बाद, उक्त प्रोत्साहनों का लाभ उठाने के लिए हमारे द्वारा प्रदान की गई सूचना ।

2. हम एतद्द्वारा पुष्टि करते हैं कि उक्त प्रोत्साहनों का लाभ उठाने के लिए हमारे द्वारा प्रदान की गई जानकारी सभी प्रकार से सत्य, सही और पूर्ण है और कोई भौतिक तथ्य/सूचना जो हमारे द्वारा उक्त प्रोत्साहनों का लाभ उठाने के लिए प्रदान की गई सूचना पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है, उसे छुपाया नहीं गया है । हम इस बात को स्वीकार करते हैं और इस बात की पुष्टि करते हैं कि पूर्वगामी आधार पर और आगे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को उक्त प्रोत्साहनों का लाभ उठाने के लिए हमारे द्वारा प्रदान की गई सूचना की स्थिति में किसी भी परिवर्तन के बारे में तत्काल अवगत कराने का कार्य किया गया है ।

3. हम आगे यह घोषणा भी करते हैं कि (i) की स्थिति में हमारे द्वारा प्रदान की गई किसी भी जानकारी को असत्य, गलत या अपूर्ण पाए जाने वाले उपक्रमों और उपरोक्त खंड 2 में बताए गए पुष्टिओं की स्थिति में असत्य, गलत, अधूरा या उल्लंघन पाए जाने की स्थिति में प्राप्त किया जा रहा है; हम संवितरण की तारीख पर प्रचलित 3 साल के एसबीआई एमसीएलआर में गणना किए गए ब्याज के साथ हमारे द्वारा प्राप्त प्रोत्साहनों की पूरी राशि वापस कर देंगे, जो अतिरिक्त भुगतान और रिफंड की तारीख के बीच की अवधि के लिए सालाना बढ़ जाता है।

4. हम स्वीकार करते हैं कि ऊपर खंड 3 में प्रदान किया गया उपाय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के पास उपलब्ध विशेष उपाय नहीं है और ऊपर खंड 3 (i) और (ii) में उल्लिखित घटनाओं के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के पास उपलब्ध किसी भी कानूनी उपाय के प्रति पूर्वाग्रह के बिना है ।

दिनांक *हस्ताक्षर*

(पते के साथ नाम और पदनाम)निदेशक/सीईओ/एमडी

परिशिष्ट -6: त्रैमासिक समीक्षा रिपोर्ट

एक आवेदक को प्रत्येक तिमाही के अंत से 30 दिनों के भीतर त्रैमासिक समीक्षा के लिए निम्नलिखित जानकारी (स्व-प्रमाणित) प्रदान करना होगा:

वर्ष:..... तिमाही समाप्त: I/II/III/IV (**जैसा लागू हो टिक करे)**
1. आवेदक का नाम
2. पात्र उत्पाद
3. आवेदन स्वीकृति तिथि
4. आवेदन अनुमोदन तिथि
5. विनिर्माण स्थान
6. *अनुमोदित उत्पादों के निर्माण के लिए आवेदक द्वारा किया गया निवेश (राशि रुपये में)* (i) *तिमाही के दौरान* (ii) *तिमाही समाप्त होने तक*
7. *अनुमोदित उत्पादों के विनिर्माण के लिए अनुबंध निर्माता/एस द्वारा किया गया निवेश (रुपये में राशि)* (i) *तिमाही के दौरान* (ii) *तिमाही समाप्त होने तक*
8. **स्वीकृत उत्पादों की बिक्री**: (i) *तिमाही के दौरान* (ii) *तिमाही समाप्त करने तक* **[**क्रेडिट नोट्स**,** छूट और लागू करों का निबल]
9. स्वीकृत उत्पादों का निर्यात: (i) *तिमाही के दौरान* (ii) *तिमाही समाप्त होने तक* [क्रेडिट नोट्स**,** छूट और करों का निबल लागू]
10. निर्यात बाजारों में ब्रांडिंग के लिए व्यय

(i) *तिमाही के दौरान* (ii) तिमाही समाप्त होने तक
11. आवेदक और अनुबंध निर्माताओं दोनों के लिए अनुमोदन पत्र में दर्शाए गए उत्पादों के कारण तिमाही समाप्त होने पर रोजगार (संख्या में)**:**

	31.3.2021 की स्थिति के अनुसार	रिपोर्ट की गई तिमाही के लिए संचयी
प्रत्यक्ष		
ऑन-रोल लेबर/कर्मचारी		
संविदात्मक		
प्रशिक्षु		

पात्र उत्पाद के लिए स्थापित उत्पादन क्षमता (मीट्रिक टन) I. आवेदक II. अनुबंध निर्माता

दिनांक *हस्ताक्षर*

(पते के साथ नाम और पदनाम)निदेशक/सीईओ/एमडी

संलग्नक-7: विनिर्माण स्थल/कार्यालयों के ऑडिट के लिए सहमति

(कंपनी/फर्म के पूर्णकालिक निदेशक/सीईओ/एमडी द्वारा विधिवत पदनाम का वर्णन करने और आवेदक की आधिकारिक स्टेशनरी पर प्रस्तुत करने के साथ-साथ ऐसा करने के प्राधिकार के साथ हस्ताक्षर किए जाएंगे ।)

1. जबकि, आवेदक (पते के साथ निर्माता का नाम) नामक आवेदक ने भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को पात्र खाद्य उत्पादों के घरेलू विनिर्माण के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) के अंतर्गत एक आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें विनिर्माण (पात्र उत्पाद) पर..... (स्थान) से संबंधित आवेदन के लिए प्रोत्साहन की मांग की गई है ।

2. अब, इसलिए, आवेदक या उसकी एजेंसियां या उसके सलाहकार पात्र उत्पादों के निर्माण की प्रक्रिया से जुड़े पीएलआई योजना के अंतर्गत आवेदन और प्रोत्साहनों के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत सुविधा और दस्तावेजों के सत्यापन के लिए एमओएफपीआई या किसी अन्य प्राधिकरण को अनुमति देंगे ।

दिनांक *हस्ताक्षर*

(पते के साथ नाम और पदनाम)निदेशक/सीईओ/एमडी

संलग्नक-8: सत्यनिष्ठा अनुपालन के लिए परफॉर्मा

(कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक/सीईओ/एमडी द्वारा हस्ताक्षरित/फर्म के पार्टनर/मालिक पदनाम का विधिवत वर्णन करते हैं और ऐसा करने के प्राधिकार के साथ आवेदक की आधिकारिक स्टेशनरी पर प्रस्तुत किए जाते हैं)

प्रारूप- क: प्रारंभिक घोषणा

1. जबकि, आवेदक ने भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) को पात्र खाद्य उत्पादों के घरेलू निर्माण के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन स्कीम (पीएलआई) के अंतर्गत एक आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें विनिर्माण (उत्पाद खंड) पर..... (स्थान) से संबंधित आवेदन के लिए प्रोत्साहन की मांग की गई है ।

2. इसलिए, अब आवेदक अपने अधिकारियों/प्रतिनिधियों सहित यह कार्य करता है कि वह भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आवश्यक सभी उपाय करेगा । वह एमओएफपीआई या उसकी एजेंसियों या पीएलआई योजना के अंतर्गत प्रोत्साहनों के अनुमोदन और वितरण के अनुमोदन के लिए आवेदन के मूल्यांकन और सत्यापन की प्रक्रिया के साथ लगे अपने सहयोग/संबंधों के दौरान निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है ।

2.1. पीएलआई आवेदक सीधे या किसी अन्य व्यक्ति या फर्म के माध्यम से नहीं होगा, आवेदन से निपटने की प्रक्रिया में शामिल एमओएफपीआई के किसी भी अधिकारी (एस) या सलाहकार या एजेंसी प्रतिनिधि (आवेदन को संभालने के लिए नियुक्त मूल्यांकन या/और पीएमए) को किसी भी तीसरे व्यक्ति या किसी तीसरे व्यक्ति को किसी भी सामग्री या अन्य लाभ के लिए प्रस्ताव, वादा या देना, जो वह पीएलआई के अंतर्गत प्रोत्साहन प्रदान करने या वितरित करने के आवेदन की प्रक्रिया से पहले या उसके बाद किसी भी प्रकार के किसी भी लाभ के बदले में प्राप्त करने के लिए कानूनी रूप से हकदार नहीं है ।

2.2. पीएलआई आवेदक संबंधित भारतीय दंड संहिता, 1860/भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत कोई अपराध नहीं करेगा। इसके अलावा, आवेदक अनुचित तरीके से प्रतिस्पर्धा या व्यक्तिगत लाभ के प्रयोजनों के लिए, या दूसरों को पारित, किसी भी जानकारी या एमओएफपीआई द्वारा प्रदान किए दस्तावेज़ों उपयोग नहीं करेगा ।

2.3. पीएलआई आवेदक विधिवत प्राधिकृत एजेंटों/प्रतिनिधियों के नाम और पते का खुलासा करेगा जो एमओएफपीआई या उसकी एजेंसियों के साथ व्यवहार करेंगे और इन एजेंटों या प्रतिनिधियों के पारिश्रमिक में अनुचित तरीके से कार्य करने के लिए कोई छिपी हुई राशि या

घटक शामिल नहीं होगा या जिसमें सामान्य प्रक्रिया या कार्य के अभ्यास को प्रभावित करने के लिए नकद या प्रकार की प्रकृति का प्रलोभन दिया जाएगा ।

2.4. पीएलआई आवेदक अपने द्वारा किए गए किसी भी और सभी भुगतानों का खुलासा करेगा, नियमित कर्मचारियों या आवेदक के अधिकारियों के अलावा एजेंटों, दलालों या किसी अन्य बिचौलियों को अनुमोदन प्रदान करने या/और प्रोत्साहनों के वितरण के संबंध में एजेंटों, दलालों या किसी अन्य बिचौलियों को बनाने के लिए प्रतिबद्ध है या करना चाहता है ।

2.5. आवेदक अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए कोई अवैध संतुष्टि प्रदान नहीं करेगा।

2.6. आवेदक पारदर्शिता और निष्पक्षता को ख़राब करने के लिए अन्य पक्षों के साथ सांठगांठ नहीं करेगा ।

2.7. आवेदक अव्यवसायिक व्यवहार के बदले किसी को कोई लाभ नहीं देगा।

3. आवेदक घोषणा करता है कि गत 3 वर्षों में किसी भी देश में किसी अन्य कंपनी के साथ भ्रष्टाचार विरोधी दृष्टिकोण के अनुरूप या किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/केंद्र या राज्य सरकार और भारत में इन्ट्रयूमेंटलिटी में उसकी कोई भूमिका नहीं हुई ।

4. आवेदक इस बात से सहमत है कि यदि यह पाया जाता है कि आवेदक ने इस विषय पर कोई गलत बयान दिया है, तो आवेदन बंद या अस्वीकार कर दिया जाएगा और एमओएफपीआई को किसी भी प्रकृति की कानूनी कार्रवाई शुरू करने का अधिकार सुरक्षित रखा जाएगा। यदि एमओएफपीआई ने पीएलआई के अंतर्गत प्रोत्साहन वितरित किए हैं, तो आवेदक को वितरित की गई राशि को 3 वर्षों में प्रचलित एसबीआई एमसीएलआर द्वारा प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि, आवेदक को काली सूची में डालने और एमओएफपीआई के विवेक पर किसी भी प्रकृति की कानूनी कार्रवाई शुरू करने के अलावा ब्याज के साथ वसूली योग्य हो ।

5. उपर्युक्त वचन-पत्र की विषय-वस्तुओं को चला दिया गया है और इसे समझने के बाद इसे के दिन ..... (महीना/वर्ष) निष्पादित/दिया जा रहा है ।

दिनांक *हस्ताक्षर*

(नाम और पता के साथ पदनाम)

कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक/सीईओ/एमडी/फर्म के पार्टनर/मालिक

प्रारूप ख: प्रोत्साहन जारी करने से पहले वचन-पत्र

(कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक/सीईओ/एमडी/फर्म/फर्म के पार्टनर/मालिक द्वारा विधिवत पदनाम का वर्णन करने और आवेदक की आधिकारिक स्टेशनरी पर प्रस्तुत करने के साथ-साथ ऐसा करने के लिए प्राधिकरण के साथ हस्ताक्षर किए जाएंगे ।)

1. जबकि, आवेदक ने भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन स्कीम (पीएलआई) के अंतर्गत आवेदन सौंपा है, जिसमें विनिर्माण (पात्र उत्पाद) पर..... (स्थान) से संबंधित आवेदन के लिए प्रोत्साहन की मांग की गई है ।

2. और जबकि, आवेदक ने दिनांक के अंतर्गत अखंडता के लिए पालन और प्रतिबद्धता के लिए एक वचन-पत्र प्रस्तुत किया है..... आवेदकों के हस्ताक्षर/प्राधिकार के अंतर्गत दिया गया ..... (नाम और पदनाम) उपरोक्त आवेदन के संबंध में एमओएफपीआई को।

   और जबकि, आवेदक ने दिनांक के अंतर्गत अखंडता के लिए पालन और प्रतिबद्धता के लिए एक वचन-पत्र प्रस्तुत किया है..... आवेदकों के हस्ताक्षर/प्राधिकार के अंतर्गत दिया गया ..... (नाम और पदनाम) उपरोक्त आवेदन के संबंध में एमओएफपीआई को।

और जबकि, आवेदक अपने अधिकारियों/प्रतिनिधियों सहित प्रतिबद्धता देता है और यह कार्य करता है कि वह भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आवश्यक सभी उपाय करेगा और वह सीधे या किसी अन्य व्यक्ति या फर्म के माध्यम से नहीं होगा, प्रस्ताव, वादा या एमओएफपीआई अधिकारी या सलाहकार या एजेंसी के प्रतिनिधि (मूल्यांकन या/और आवेदन को संभालने के लिए एमओएफपीआई द्वारा नियुक्त पीएमए) आवेदन से निपटने की प्रक्रिया में शामिल है या किसी तीसरे व्यक्ति को किसी भी सामग्री या अन्य लाभ है जो वह कानूनी रूप से किसी भी तरह के किसी भी लाभ के बदले में प्राप्त करने के लिए हकदार नहीं है पहले या उसके दौरान या उसके बाद पीएलआई योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन की मंजूरी या वितरण के लिए आवेदन की प्रक्रिया ।

3. और जबकि, आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन को पीएमए ने अपने संचार संख्या दिनांक ....के माध्यम से अनुमोदन दिया है।

4. और जबकि, आवेदक ने प्रोत्साहन राशि के वितरण का दावा प्रस्तुत किया है। आईएनआर के प्रोत्साहन का दावा करने के लिए पीएमए के लिए.....

5. और जबकि, पीएमए ने प्रोत्साहन वितरण के दावे पर विचार किया है और दिनांकित दावे पर प्रोत्साहन के वितरण/रिहाई की प्रक्रिया में है ।

6. अब, इसलिए, मैं इसके द्वारा एमओएफपीआई/पीएमए को प्रस्तुत सत्यनिष्ठा वचन-पत्र के अनुपालन की विधिवत पुष्टि करता हूं कि इसमें कोई उल्लंघन नहीं है और अनुरोध है कि पीएलआई योजना के अंतर्गत पात्र प्रोत्साहन आवेदक को जारी किए जाएं और प्रोत्साहनों की राशि आवेदक के बैंक खाते में जमा की जाए ।

7. उपरोक्त वचनपत्र की विषय-वस्तु को पढ़ लिया गया है और इसे विधिवत समझने के बाद, दिन..... (महीना/वर्ष) निष्पादित/दी गई है।

दिनांक *हस्ताक्षर*

कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक/सीईओ/एमडी/फर्म के पार्टनर/मालिक